श्रम संगम

वर्ष: 2, अंक: 1
जनवरी-जून 2016

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्ट: श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रम कानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाएं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दर: लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.org पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली/नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजे:

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश
ई–मेल: publicationsvvgnli@gmail.com

मुख्य संरक्षक
श्री मनीष कुमार गुप्ता
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. पूनम एस. चौहान
वरिष्ठ फेलो

डॉ. संजय उपाध्याय
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्ष: 2, अंक: 1, जनवरी-जून 2016

अनुक्रमणिका

महानिदेशक की कलम से...	2
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नीति श्लोकों की प्रासंगिकता – डॉ. संजय उपाध्याय	3
महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना – डॉ. एलीना सामंतराय	9
अभिशप्त आजादी (कविता) – डॉ. पूनम एस. चौहान	10
किसानों की दशा और दिशा – राजेश कुमार कर्ण	11
गुज़ारिश (कविता) – कुसुम उपाध्याय	14
जंगी विमान उड़ाएंगी तीन महिलाएं	15
समान पोषण समान अधिकार, सतत विकास का पुख्ता आधार – नीलम मदान	16
साक्षर महिला (कविता) – बीरेन्द्र सिंह रावत	18
स्वागतम (कविता) – सतीश कुमार	18
प्रेरक प्रसंग : बिहार का नाम रोशन करते ये टॉपर्स	19
माँ (कविता) – डॉ. एलीना सामंतराय	20
मेरा श्रम मंदिर (कविता) – डॉ. पूनम एस. चौहान	20
अफगान संकट से उपजा आतंक का रक्तबीज – बीरेन्द्र सिंह रावत	21
मुद्दतों के बाद (कविता) – डॉ. शशि तोमर	26
महिला सशक्तिकरण (कविता) – ज्योति गुप्ता	26
हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का परिणाम	27
बेटियां (कविता) – मोनिका गुप्ता	27
जीवन संध्या – कुसुम उपाध्याय	27
कहानी: भोलाराम का जीव	28
देवभूमि उत्तराखंड – दिगम्बर सिंह	30
अबकी बार, घर का सपना होगा साकार – राजेश कुमार कर्ण	31
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	36
आत्मोदय (कविता) – डॉ. संजय उपाध्याय	36
क्या यही मेरा नसीब है (कविता) – सुकृति जैन	36

महानिदेशक की कलम से...

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों में किसी कार्यालय द्वारा अपनी राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन एक सकारात्मक एवं प्रभावी कदम होता है। इसी क्रम में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान अपनी गृह पत्रिका ^Je l|xe^ के तृतीय अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। हिंदी बहुत ही सरल एवं सहज भाषा है, इसे आसानी से बोला और सीखा जा सकता है। इसमें देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की क्षमता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने हिंदी की सर्वग्राह्यता के बारे में एक बार कहा था, 'इतने बड़े देश में जहाँ इतनी भाषाएं हैं, वहाँ देश की एकता के लिए एक प्रमुख आवश्यकता यह है कि कोई ऐसी भाषा हो, जिसे सब बोल सकें, जो एक कड़ी की तरह सबको मिला–जुलाकर रख सके। इसलिए हिंदी को बढ़ाना सबका काम है।'

सरकारी कर्मचारी होने के साथ–साथ, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से हम सबका यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हुए अपने कार्यालयीन कामकाज में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा दें। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी के सामूहिक प्रयत्न से हिंदी के कार्यालयीन प्रयोग में दिनोंदिन वृद्धि होगी।

'श्रम संगम' पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है।

अंत में, राजभाषा पत्रिका 'श्रम संगम' के इस अंक के सफल प्रकाशन के लिए मैं अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

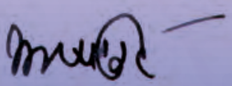

¼euh"k dekj xIrk½

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नीति श्लोकों की प्रासंगिकता

डॉ. संजय उपाध्याय*

lLdr lkfgR; fo'o d çkphure ,o lokfèkd le) lkfgR;k e l ,d gA ble u doy ekuo }kjk thou&Ik;r viuk, tku oky lLdkjk ,o vkpj.k l lcfèkr lkfgR; dk vikj HkMkj g vfir ekuo dk mldh ftnxh dh fofHkUu voLFkkvk e cjkb;k d çfr lpr dju okyk lkfgR; Hkh çpj ek=k e miyCèk gA rth l vkRedfnr gkr tk jg lekt e thou&vkn'kk dk lpkj dju gr bl if=dk d io vd e ckydk vkj ;okvk d fy, fgnh HkkokFk lfgr dN uhfr 'ykd çLrr fd, x, FkA blh Øe e çLrr g dN vkj Kkuoèkd 'ykd%

1- नहि ज्ञानेनसदृशं, पवित्रमिह विद्यते।
तत्स्वयं योगसंसिद्ध, कालेनात्मनि विन्दति।।

HkkokFk% दुनिया में ज्ञान से अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण कोई भी वस्तु नहीं है। इसी कारण से सभी बुद्धिमान और ज्ञानी लोग इसे ही प्राप्त करने के लिए सतत रूप से साधना में तत्पर रहते हैं।

2- जाड्यं धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम
मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति।
चेतःप्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम् सत्संगति कथय
किन्न करोति पुंसाम्।।

HkkokFk% बुद्धि की जड़ता का विनाश करती है, वाणी में सत्यता का संचार करती है, सम्मान में वृद्धि करती है, पाप का विनाश करती है, चित्त को प्रसन्न रखती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है, इस प्रकार सज्जनों की संगति मनुष्यों का क्या–क्या भला नहीं करती।

3- स्वगृहे पितरः पूज्याः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः।
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते।

HkkokFk% पिता अपने घर में सम्मान प्राप्त करता है, कुल देवता अपने गांव में, राजा/शासक अपने देश में सम्मान प्राप्त करता है जब कि विद्वान सभी जगह सम्मान और आदर प्राप्त करता है। अतः जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए।

4- परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः।
परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्।।

HkkokFk% जिस प्रकार वृक्ष औरों के उपकार के लिए फल देते हैं, नदियां औरों के उपकार के लिए बहती हैं, गायें औरों के उपकार के लिए दूध देती हैं, उसी प्रकार हमारा यह मानव शरीर मुख्यतः औरों के उपकार तथा कल्याण के लिए ही है।

5- अग्निः शेषं ऋणः शेषं शत्रुः शेषं तथैव च।
पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषं न कारयेत्।।

HkkokFk% अग्नि, कर्ज और शत्रुता यह तीनों ही शेष रह जाने/बच जाने पर कभी भी बढ़ सकते हैं, अतः इनमें से किसी को भी कभी भी शेष नहीं छोड़ना चाहिए।

6- चन्दनं शीतलं लोके चंदनादपि चंद्रमाः।
चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये शीतला साधुसंगतिः।।

HkkokFk% चंदन शीतल होता है, चंदन से भी अधिक शीतल होता है चंद्रमा और इन दोनों से भी अधिक शीतलदायी होती है सज्जनों की संगति।

7- महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः।
पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्।।

HkkokFk% सज्जनों तथा महान लोगों का संसर्ग (साथ) हमेशा ही लाभदायी और उन्नतिकारक होता है ठीक वैसे ही जैसे कि कमल के पत्ते पर गिरने पर पानी (ओस) की बूंद मोती की भांति लगने लगती है।

8- धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।

HkkokFk% धैर्य, क्षमाशीलता, आत्म–नियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, कृतज्ञता का भाव, बुद्धिमत्ता, इन्द्रिय–निग्रह, सत्यवादिता तथा क्रोध पर नियंत्रण, धर्म के ये दस लक्षण हैं।

---

* *फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

9- कुसुमं वर्णसंपन्नं गन्धहीनं न शोभते।
न शोभते क्रियाहीनं मधुरं वचनं तथा।।

HkkokFk% जिस प्रकार सुगंध रहित सुंदर फूल शोभाकारी नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मधुर वचन बोलने वाला लेकिन क्रियाहीन मनुष्य शोभा नहीं देता।

10- उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम्।
सोत्साहस्य च लोकेशु न किंचिदपि दुर्लभम्।।

HkkokFk% उत्साह ही परम और श्रेष्ठ बल है तथा उत्साह से बढ़कर अन्य कोई बल नहीं। उत्साह से संपन्न व्यक्ति के लिए दुनिया में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है।

11- व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम्।
आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्।।

HkkokFk% व्यायाम से उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, बल और सुख प्राप्त होता है तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य और उत्तम स्वास्थ्य ही परम भाग्य है क्योंकि पूर्णतः स्वस्थ होने पर ही हम विभिन्न सामाजिक और मानवीय दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं।

12- जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः।
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः।।

HkkokFk% अपनी इंद्रियों को वश में रखने में सक्षम, शांत चित्त तथा मान और अपमान, सुख और दुख में विचलित न होते हुए सम–भाव (एक जैसा भाव) रखने वाले व्यक्ति में ही परमात्मा का वास होता है।

13- विद्या मित्रं प्रवासेषु भार्या मित्रं गृहेषु च।
व्याधितस्यौषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च।।

HkkokFk% परदेश में विद्या मित्र की भूमिका अदा करती है, घर में पत्नी, बीमारी में औषधि और मृत्यु के उपरान्त धर्म (विभिन्न सामाजिक और मानवीय दायित्वों का सम्यक् निर्वहन), इस भूमिका का निर्वाह करता है।

14- आरभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचैः।
प्रारभ्य विध्नविहता विरमन्ति मध्याः।।
विध्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः।
प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति।।

HkkokFk% साधारण श्रेणी के लोग विघ्नों और बाधाओं के डर से किसी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ ही नहीं करते, मध्यम श्रेणी के लोग विघ्न और बाधाएं आने पर ऐसे कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि इसके विपरीत उत्तम श्रेणी के लोग कितनी भी विपत्तियां और बाधाएं आने पर भी उनसे विचलित न होते हुए उस कार्य को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचा कर ही चैन की सांस लेते हैं।

15- अज्ञः सुखम् आराध्यः सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः।
ज्ञानलवदुर्विग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति।।

HkkokFk% एक अशिक्षित व्यक्ति को मनाना आसान है, इसी प्रकार जिस व्यक्ति को किसी चीज की सही–सही और पूर्ण जानकारी है उसको मनाना और भी अधिक आसान है। जब कि इसके ठीक विपरीत ऐसा कोई व्यक्ति जो आधी–अधूरी जानकारी के कारण झूठे अभिमान में रहता हो, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर भी नहीं मना सकता।

16- आरोग्यं, विद्वत्ता, सज्जनमैत्री, महाकुले जन्म।
स्वाधीनता च पुंसां महदैश्वर्यं विनाप्यर्थैः।।

HkkokFk% आरोग्य (अच्छा स्वास्थ्य), विद्वत्ता, सज्जनों के साथ मित्रता, सुसंस्कार–युक्त परिवार में जन्म तथा अन्यों पर आश्रित न होना, यही सब सही अर्थों में किसी व्यक्ति का वास्तविक धन हैं।

17- परस्य पीडया लब्धं धर्मस्योल्लंघनेन च।
आत्मावमानसंप्राप्तं न धनं तत् सुखाय वै।।

HkkokFk% औरों को पीड़ित करके, धर्म का उल्लंघन करके तथा आत्मा को मारकर प्राप्त किया गया धन न तो सही अर्थों में धन ही है और न ही उससे प्राप्त सुख वास्तविक और चिर–स्थायी सुख।

18- परोपदेशे पाडित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम्।
धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित् सुमहात्मनः।।

HkkokFk% स्वयं को बहुत योग्य और होशियार समझते हुए औरों को यह उपदेश देना कि क्या अच्छा है, क्या खराब है तथा अन्यों के साथ कैसा बर्ताव या व्यवहार करना चाहिए, बहुत आसान है। जब कि यही सब स्वयं के व्यवहार में लाना उतना ही मुश्किल है। इसी कारण से सही अर्थों में कुछ चुनिंदा, अच्छे और महान लोग ही जो शिक्षा औरों को देते हैं, उसे स्वयं के व्यवहार और कार्यशैली में ढाल पाते हैं।

19- न प्रहृष्यति सम्माने नापमाने च कुप्यति।
न क्रुद्धः परूषं ब्रूयात् स वै साधूत्तमः स्मृतः।।

HkkokFk% जो व्यक्ति सम्मान मिलने से बहुत अधिक खुश नहीं होता, असम्मान या अनादर से नाराज नहीं होता तथा कठोर वचन बोलने से क्रोधित नहीं होता, ऐसा ही व्यक्ति सही अर्थों में सज्जन और समझदार कहलाने योग्य है।

20- वनेऽपि सिंहा मृगमांसभक्षिणां
बुभुक्षिता नैव तृणं चरन्ति।
एवं कुलीना व्यसनाभिभूता
न नीचकर्माणि समाचरन्ति।।

HkkokFk% जिस प्रकार पशुओं का मांस भक्षण करने वाला सिंह वन में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ होने के बावजूद तेज भूख लगने पर भी उनका सेवन नहीं करता ठीक उसी प्रकार कुलीन व संभ्रात लोग अपने चारों ओर से अनेक बुराइयों से घिरे होने तथा जीवन में विभिन्न प्रकार की आपदाएं और संकट आने के बावजूद गलत मार्ग की ओर नहीं चलते।

21- स्वभावं न जहात्येव साधुरापद्गतोऽपि सन्।
कर्पूरः पावकस्पृष्टः सौरभं लभतेतराम्।।

HkkokFk% सज्जन लोग जीवन में विभिन्न प्रकार की आपदाएं आने पर भी अपनी सज्जनता (और बुनियादी जीवन मूल्यों) का ठीक उसी प्रकार त्याग नहीं करते जिस प्रकार से कि अग्नि के स्पर्श में आने पर भी कपूर अग्नि का स्वभाव ग्रहण न करते हुए और भी अधिक सुरभित और सुगंधित हो जाता है।

22- मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्।
मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम्।।

HkkokFk% महान लोग मन वचन और कर्म में एकरूपता लिए होते हैं जब कि इससे ठीक विपरीत दुष्ट लोग मन से कुछ और, वचनों से कुछ और तथा कर्मों से कुछ और ही होते हैं। अर्थात् उनके मन, वाणी और कर्म एकरूपता लिए नहीं होते।

23- सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा।
शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बान्धवाः।।

HkkokFk% सत्य हमारी माँ हो, ज्ञान हमारा पिता हो, कर्तव्य–निष्ठा हमारे भाई–बहन हों और दया हमारे मित्र हों, शान्ति हमारी पत्नी हो और क्षमा हमारे पुत्र–पुत्री हों। यही छः हमारे वास्तविक बन्धु–बांधव हैं। अतः हमें कभी भी इन जीवन मूल्यों और सदगुणों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।

24- क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।।

HkkokFk% क्रोध विवेक को हर लेता है, विवेक समाप्त हो जाने पर स्मृति–विभ्रम हो जाता है, स्मृति–विभ्रम से बुद्धि का विनाश होने लगता है और बुद्धि के विनाश से व्यक्ति शीघ्र ही विनाश को प्राप्त करने लगता है।

25- अवश्यमनुभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।
नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि।।

HkkokFk% हमें अपने अच्छे और खराब कर्मों का फल और परिणाम भोगना ही पड़ता है। हमारे अच्छे और खराब कर्मों का परिणाम सैकड़ों वर्षों तक भी नष्ट नहीं होता।

26- अर्थाः गृहे निवर्तन्ते श्मशाने पुत्रबान्धवाः।
सुकृतं दुष्कृतं चैव गच्छन्तमनुगच्छति।।

HkkokFk% अपने हाथ से निकलते ही अर्जित किया गया धन साथ छोड़ देता है, संतान और बंधु–बांधव श्मशान तक ले जाकर साथ छोड़ देते हैं, केवल हमारे अच्छे और बुरे कार्य ही ऐसे होते हैं जो मृत्यु के उपरांत भी चिरकाल तक हमारा अनुसरण करते हैं।

27- अनित्यानि शरीराणि वैभवं नैव शाश्वतम्।
नित्यः सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः।।

HkkokFk% हमारा यह शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, न ही समृद्धि और वैभव चिरस्थायी है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इस कारण से हमारा अधिकाधिक प्रयास अपने विभिन्न (सांसरिक और सामाजिक) कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए परार्थ के माध्यम से अधिकाधिक धर्म के संग्रह पर होना चाहिए।

28- कः कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ।
कश्चाहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः।।

HkkokFk% किसी भी व्यक्ति को कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अवश्य और निरंतर विचार करते रहना चाहिए जैसे कि उस कार्य विशेष को करने के लिए उपयुक्त समय क्या है? उस समय विशेष पर कौन व्यक्ति के मित्र हैं? उस कार्य विशेष को करने के लिए क्या उपयुक्त स्थान है? व्यक्ति की आमदनी और खर्चे क्या हैं, तथा व्यक्ति की खुद की क्या सामर्थ्य और सीमाएं हैं?

29- जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः।
स हेतुः सर्वाविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ।।

HkkokFk% जिस प्रकार जल बिंदुओं के क्रमशः किसी घड़े (बर्तन) में गिरते रहने से ही घड़ा भरता है, लगभग ऐसा ही सभी विद्याओं, धर्म और धन (ईमानदारी से अर्जित किया जाने वाला धन) के साथ होता है।

30- कामधेनुसमा विद्या सदैव फलदायिनी।
प्रवासे मातृवत्तस्मात् विद्या गुप्तधनं स्मृतम्।।

HkkokFk% कामधेनु गाय के समान विद्या सभी प्रकार से फलदायिनी है। विद्या परदेश (परदेस) में मां के समान होती है। यही कारण है कि विद्या को छिपा हुआ और सबसे अधिक महत्वपूर्ण धन माना गया है।

31- कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम्।
को विदेशस्तु विदुशां कः परः प्रियवादिनाम्।।

HkkokFk% समर्थ और बलशाली व्यक्ति के लिए वजन मायने नहीं रखता, उद्यमशील और व्यवसायी प्रकृति के व्यक्ति के लिए दूरी मायने नहीं रखती, विद्वान व्यक्ति के लिए देश और परदेस/विदेश मायने नहीं रखता ठीक इसी प्रकार मृदुभाषी व्यक्ति के लिए अपना और पराया महत्व नहीं रखता अर्थात् मृदुभाषी लोगों को औरों को अपना बनाने में न तो कोई समय लगता है और न ही कोई कठिनाई होती है।

32- अगुणस्य हतं रूपं दुःशीलस्य हतं कुलम्।
असिद्धस्य हता विद्या अभोगेन हतं धनम्।।

HkkokFk% दुर्गुणों (बुरी आदतों) से सौंदर्य नष्ट हो जाता है, दुराचरण से कुल (परिवार) नष्ट हो जाता है, बिना अभ्यास के विद्या (योग्यता) नष्ट हो जाती है तथा (सही प्रयोजनों के लिए) इस्तेमाल नहीं करने पर धन नष्ट हो जाता है।

33- मनसा चिन्तितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत्।
अन्यलक्षितकार्यस्य यतः सिद्धिर्न जायते।।

HkkokFk% मन से विचारे गए काम को अपनी वाणी से नहीं कहना चाहिए तथा उस विचार की मंत्र की तरह रक्षा करते हुए कार्य सम्पन्न होने तक उसमें संलग्न रहना चाहिए।

34- यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षण–छेदन–ताप ताडनैः
तथा चतुर्भिः पुरूषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा।।

HkkokFk% जैसे कि कसौटी पर घिसने–काटने, आग में तपाने–पीटने (इन चार उपायों) से सोना पहचाना जाता है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म (इन चारों) से मनुष्य पहचाना जाता है।

35- सन्तोषामृततृप्तानां तत्सुखं शान्तचेतसाम्
न च तद्धनलुब्धानामितश्चेश्तश्च धावताम्।।

HkkokFk% शान्त चित्तवाले संतुष्ट मनुष्यों को संतोषरूपी अमृत से जो सुख है वह धन के लिए इधर–उधर दौड़ने वाले लोभियों को नहीं है।

36- दुराचारी दुरादृष्टिः दुरावासी च दुर्जनः।
यन्मैत्री क्रियते पुंसा स तु शीघ्रं विनश्यति।।

HkkokFk% दुराचारी से, पाप दृष्टि वाले से, खराब स्थान में रहने वाले से और दुष्टों से जो मनुष्य मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

37- यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते।
ध्रुवाणि तस्त नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि।।

HkkokFk% जो व्यक्ति अपने निश्चित कार्यों अथवा वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित की चिंता में पड़ा रहता है, उसका अनिश्चित तो नष्ट है ही निश्चित भी नष्ट हो जाता है।

38- आचारालभते ह्यायुराचाराल्लभते श्रियम्।
आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च।।

HkkokFk% सदाचार से व्यक्ति निश्चय ही दीर्घायु प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी (धन) प्राप्त करता है और सदाचार से ही इस लोक और परलोक दोनों में ही यश प्राप्त करता है।

39- अक्रोधनः सत्यवादी भूतानामविहिंसकः
अनुसुयरजिह्मश्च शतं वर्षाणि जीवति।।

HkkokFk% क्रोध नहीं करने वाला, सदा सच बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला तथा कुटिलता रहित व्यक्ति सौ वर्षों तक जीवित रहता है।

40- अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः
हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्।।

HkkokFk% विनयशीलता सदैव अपयश का नाश करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमाशीलता क्रोध का नाश करती है और सदाचार हमेशा ही दुर्गुणों को नष्ट करता है।

41- सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते।
मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते।।

HkkokFk% सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, पूर्ण मनोयोग सहित अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप (सौंदर्य) की रक्षा होती है और सच्चरित्रता से कुल (परिवार की मान मर्यादा) की रक्षा की जाती है।

42- मरुस्थल्यां यथा वृष्टिः क्षुधार्ते भोजनं तथा।
दरिद्रे दीयते दानं सफलं पाण्डुनन्दनः।।

HkkokFk% मरुभूमि में हुई बारिश के समान भूख से व्याकुल व्यक्ति को प्रदान किया भोजन और निर्धन को दिया गया दान भी सफल होता है।

43- सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्म।
वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेंव सम्पदः।।

HkkokFk% बिना सोचे–विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक (अज्ञान) परम आपत्तियों अथवा घोर संकट का कारण है, सोच–विचार कर कार्य करने वाले का गुणों की लोभी अर्थात् गुणों पर रीझने वाली संपत्तियां (लक्ष्मी) स्वयं वरण करती हैं, अर्थात् ठीक प्रकार से विचार किया गया कार्य ही सफलीभूत होता है और बिना विचारे किए गए कार्य का परिणाम अक्सर अहितकर होता है।

44- प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो
यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम्।
तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद्
एकत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते।।

HkkokFk% अपने अच्छे आचरण (सदाचार) और कर्मों से पिता को प्रसन्न रखने वाली संतान, सदा पति का हित चाहने वाली पत्नी तथा दुःख और सुख में समान व्यवहार रखने वाले मित्र, इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति सीमित और पुण्यशाली व्यक्तियों को ही होती है।

45- निदन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यात पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।।

HkkokFk% नीति में निपुण (दक्ष) लोग निंदा करें या स्तुति, लक्ष्मी (धन–संपदा) आए या स्वेच्छा से चली जाए, मुत्यु आज ही आए या काफी समय बाद, धैर्यवान व्यक्ति न्याय–पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते। अर्थात् धैर्यवान लोग कर्म–पथ पर अडिग होकर तब तक अनवरत चलते रहते हैं जब तक कि उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।

46- अनुहूतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथः।
आरोहणमाक्रमणं जीवतोजीतोऽयनम्।।

HkkokFk% जैसे चींटी आदि छोटे–छोटे जीव भी ऊपर चढ़ने में तल्लीन रहते हैं ठीक वैसे ही मनुष्यों को भी उन्नति के उपायों को जानकर सदा उस दिशा में आगे बढते रहना चाहिए।

47- सन्तोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने।
त्रिषु चैव न कर्तव्योऽध्ययने तपदानयोः।।

HkkokFk% व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन–साथी, खुद के पास उपलब्ध भोजन और धन से संतोष करना चाहिए जबकि इसके विपरीत अध्ययन, परिश्रम (उद्यमशीलता) और दान (जरूरतमंद लोगों की मदद) से कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए।

48- आयुषः क्षण एकोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः।
स चेन्निरर्थकं नीतः का नु हानिस्तुतोद्यिका।।

HkkokFk% जीवन अत्यन्त बहुमूल्य है। इसका एक क्षण भी करोड़ों स्वर्णमुद्राएं देने पर भी नहीं मिल सकता। यदि ऐसा जीवन निरर्थक ही नष्ट हो जाए तो इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है।

49- सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितम्।
कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम्।।

HkkokFk% जो व्यक्ति सहृदय (दयालु प्रकृति का) है, सत्यवादी है और अपना जीवन औरों के उपकार के लिए लगाता है काल उसका क्या बिगाड़ सकता है अर्थात् जीवनोपरांत भी ऐसे व्यक्ति का यश और कीर्ति लंबे समय तक बने रहते हैं।

50- प्रथमे नार्जितं विद्या द्वितीये नार्जितं धनम्।
तृतीये नार्जितं पुण्यम् चतुर्थे किम करिष्यति।।

HkkokFk% जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की प्रथम अवस्था (विद्यार्थी जीवन) में विद्या का अर्जन नहीं किया, द्वितीय अवस्था में धन अर्जित नहीं किया और तृतीय अवस्था में पुण्य नहीं कमाया वह चतुर्थ अवस्था में क्या करेगा।

51- शान्तितुल्यं तपो नास्ति न सन्तोषात्परं सुखम्।
न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दयासमः।।

HkkokFk% दुनिया में शान्ति से बढ़कर कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णाओं (अंतहीन इच्छाओं) से बढ़कर कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।

52- अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च।
वचनं चापमानं च मतिमान् न प्रकाशयेत्।।

HkkokFk% धन की हानि, मन को पहुंची किसी बड़ी ठेस (चोट), घर में किसी के दुश्चरित्र हो जाने और

वचनों द्वारा किसी के द्वारा अपमानित किए जाने की चर्चा किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को किसी अन्य के साथ नहीं करनी चाहिए।

53- स्वायत्तमेकांतगुणं विधाता विनिर्मितंछादनमज्ञतायाः।
विशेषतः सर्वविद्वांसमाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्।।

HkkokFk% विधाता ने जो मौन (चुप रहना) बनाया है इसमें अनेक गुण भरे हुए हैं, इसको किसी से मांगना नहीं पड़ता, यह मनुष्य के स्वाधीन रहने वाली वस्तु है मनुष्य चाहे तो इसे अपना सकता है। यह मूर्खता ढँकने (परदा डालने वाला) है, विशेषकर विद्वानों की सभा में मूर्खों के लिए भूषण ही है।

54. प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्य
काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथामूकभावः परेषाम्।
तृष्णास्रोतोविभङ्गो गुरूषु च विनयः सर्व भूतानुकम्पा
सामान्यं सर्वशास्त्रेष्वनुपहतविधिः श्रयसामेषपन्थाः।।

HkkokFk% जीव हिंसा का परित्याग, दूसरों के धन के हरण से स्वयं को बचाना, सत्य बोलना, अवसर आने पर यथाशक्ति दान देना, पर–स्त्री कथा (चर्चा) में मौन रहना, तृष्णा पर रोक, गुरूजनों के प्रति विनम्रता, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना आदि को सभी शास्त्रों में कल्याण का एक मात्र और निर्विरोध मार्ग बताया गया है।

55- परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते।
स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्।।

HkkokFk% इस परिवर्तनशील संसार में बहुत से लोग दिन प्रतिदिन जन्म लेते और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं पर सही अर्थों में उसी व्यक्ति का जन्म लेना सफल है जो अपने कर्मों द्वारा अपने वंश और मानवता की उन्नति में सहायक होता है।

56. धनधान्य प्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च।
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवति।।

HkkokFk% धनधान्य के प्रयोग में, विद्या का अर्जन करने में, भोजन करने तथा व्यवहार करने में जो संकोच का परित्याग कर देता है, वही सुखी रहता है।

57- सुजनो न याति पर परिहित निरति विनाश कालेऽपि।
दपोऽपि चन्दन तरूः सुरभयति मुखं कुठारस्य।।

HkkokFk% सज्जन लोग परोपकार में रत रहकर हानि उठाते /सहते हुए भी वैर नहीं करते ठीक उसी प्रकार जैसे कि चंदन का वृक्ष काटे जाने पर भी स्वयं को काटे जाने वाली कुल्हाड़ी के मुख को सुगंधित कर देता है।

58- उद्यमो मित्रवद् ग्राह्य प्रमादं षत्रुवत्त्यजेत्।
उद्यमेन परा सिद्धिः प्रमादेन क्षयो भवेत्।।

HkkokFk% उद्योग (उद्यमिता) को मित्र की तरह ग्रहण करना चाहिए, प्रमाद को शत्रु की तरह त्याग देना चाहिए। उद्यम से परम सिद्धि मिलती है जबकि प्रमाद से क्षय होता है।

59- अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः।
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानेभ्यो व्यसायिनः।।

HkkokFk% मूर्खों से ग्रन्थ पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, ग्रन्थ पढ़ने वालों से ग्रन्थों को धारण (स्मरण) करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। ग्रन्थों को धारण करने वालों की अपेक्षा ज्ञानी (उन्हें समझने वाले) श्रेष्ठ होते हैं और ज्ञानियों की अपेक्षा तद्नुकूल आचरण करने वाले लोग श्रेष्ठ होते हैं।

60- क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति।
विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्।
नासंपृष्टो व्यपयुंक्ते परार्थे।
तत् प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्थ।।

HkkokFk% एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो किसी तथ्य या बात को शीघ्र ही जान लेता है, दूसरों की बात को देर तक और ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के अभ्यास से शनैः शनैः उसकी बुद्धिमता का स्तर और दायरा बढ़ता जाता है। हममें से अधिकतर लोग औरों की बात सुनने की क्षमता नहीं रखते। औरों को सुनना स्वयं में एक बड़ा गुण है। औरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनने से चीजों को सही प्रकार से जानने की क्षमता विकसित होती है जिससे हमें सही निर्णय देने में मदद मिलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में वही होता है जो उसी कार्य को प्रारंभ करता है जिसके विविध पक्षों और आयामों को भली भांति समझता है और उसी के अनुरूप उस कार्य को सम्पन्न करने के लिए अपनी रणनीति तय करता है, जो कि उसे उस कार्य को उसके अंतिम अंजाम तक पंहुचाने में मदद करती है। बुद्धिमान व्यक्ति मदद नहीं मांगें जाने तक औरों के मामले में कोई भी दखलंदाजी करने से बचता है।

****

महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना

डॉ. एलीना सामंतराय* जे.एस. तोमर एवं बीरेन्द्र सिंह रावत*****

हाल ही में प्रकाशित छठी आर्थिक जनगणना की अखिल भारतीय रिपोर्ट महिलाओं की उद्यमिता के संबंध में दिलचस्प निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। एक ओर सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने हेतु वैश्विक प्रतिबद्धताओं तथा दूसरी ओर घटती महिला श्रमबल सहभागिता दर (एलएफपीआर) को देखते हुए भारत में आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना एवं महिलाओं के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देना देश के नीति–निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। इस पृष्ठभूमि में, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के एक प्रमुख स्रोत के तौर पर उद्यमी कार्यकलापों में महिलाओं की भागीदारी उभरकर आती है। परंतु यहाँ जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या महिलाओं की उद्यमिता के विकल्पों में नवाचार (प्राथमिकता के आधार पर) की गुंजाइश है या कि यह केवल आर्थिक आवश्यकता (आवश्यकता–आधारित) के कारण है।

छठी आर्थिक जनगणना यह दर्शाती है कि कुल 585 लाख स्थापनाओं में से 80.5 लाख स्थापनाएं महिलाओं द्वारा संचालित हैं तथा इनमें से 83.19 प्रतिशत स्थापनाएं किसी कामगार को काम पर रखे बिना संचालित की जा रही हैं। यह भी पाया गया है कि महिलाओं के स्वामित्व वाली स्थापनाओं में से लगभग 65.12 प्रतिशत स्थापनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं और शेष 34.88 प्रतिशत स्थापनाएं शहरी क्षेत्रों में हैं।

महिलाओं के स्वामित्व वाली स्थापनाओं में सबसे अधिक स्थापनाएं (40.60 प्रतिशत) अन्य पिछड़ी जाति की महिलाओं की हैं जबकि 12.18 प्रतिशत स्थापनाएं अनुसूचित जाति की महिलाओं, 6.97 प्रतिशत स्थापनाएं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं तथा 40.25 प्रतिशत स्थापनाएं अन्य समुदायों की महिलाओं की हैं। इसी तरह, महिलाओं के स्वामित्व वाली स्थापनाओं का वितरण विभिन्न धार्मिक समूहों के व्यक्तियों के मध्य समान रूप से नहीं हुआ है। विभिन्न सामाजिक–धार्मिक समूहों में इस प्रकार की भिन्नता तथा विविध भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण सभी जातियों, वर्गों, धर्मों एवं लिंगों में उद्यमी कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सामाजिक–धार्मिक समूहों की प्राथमिकताओं की पुनः जाँच करना आवश्यक हो जाता है।

सबसे अधिक महिला उद्यमियों वाले भारत के पाँच राज्य तमिलनाडु (13.51 प्रतिशत), केरल (11.35 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (10.56 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (10.33 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (8.35 प्रतिशत) हैं, और ये राज्य उत्तर–पूर्वी राज्यों, जहां पर महिलाओं की आबादी काफी अधिक है, से अधिक उन्नत हैं।

जिन आर्थिक कार्यकलापों में महिला उद्यमी लगी हुई हैं, उनमें पाँच प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं: i) फसल उत्पादन एवं वृक्षारोपण के अतिरिक्त कृषि (34.3 प्रतिशत), ii) विनिर्माण (29.8 प्रतिशत), iii) व्यापार (18.23 प्रतिशत), iv) अन्य सेवाएं (5.38 प्रतिशत), तथा v) आवास एवं भोजन सेवाएं (2.77 प्रतिशत)। इस प्रकार, यह पाया गया है कि महिलाएं अधिकतर अधिक श्रम एवं कम उत्पादक कार्यकलापों में लगी हुई हैं। इसके अलावा, यह भी चिंता का विषय है कि महिलाओं के स्वामित्व वाली स्थापनाओं में 79.07 प्रतिशत स्थापनाएं स्व–वित्तपोषित हैं तथा सरकारी स्रोतों से वित्तीय सहायता केवल 3.37 प्रतिशत स्थापनाओं को ही मिली है। इससे यह पता चलता है कि महिलाओं द्वारा उद्यमिता शुरु करने हेतु उद्यमी कार्यकलापों के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता तक पहुंच बनाना उनके सामने अभी भी एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

भारत में महिला उद्यमिता पर अलग–अलग डाटा की उपलब्धता बहुत सीमित है। इसलिए, विभिन्न सामाजिक–धार्मिक समूहों में संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिंबित करने

** एसोसिएट फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

*** उपनिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार*

**** वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा अनूदित*

तथा महिलाओं द्वारा उद्यमिता कार्यकलाप शुरु करने में उन्हें आने वाली बाधाओं को समझने के लिए ऐसी जनगणना/सर्वेक्षणों पर लैंगिक दृष्टिकोण से विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह की जनगणना/सर्वेक्षणों में आर्थिक कार्यकलापों के चयन में लैंगिक भिन्नता को प्रतिबिंबित करने की संभावना होती है तथा महिला उद्यमियों की मौजूदा स्थिति में सुधार लाने तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सार्थक योजना बनाने एवं नीतियों के मूल्यांकन में ये काफी योगदान दे सकते हैं।

ऐसे में, कम ब्याज दर पर संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने, उत्पादकता को बढ़ाने, प्रगति के पथ पर बढ़ने हेतु उद्यमिता कार्यकलापों को शुरु करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं कल्याण को सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ महिला उद्यमियों की प्रमुख चिंताओं को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।

अभिशप्त आज़ादी

डॉ. पूनम एस. चौहान*

1947 में चारों ओर था हाहाकार,
भारत की सीमाएं रक्त–रंजित थीं।
हिंदू यहाँ, मुस्लिम वहाँ, मच रहा था चीत्कार,
देश के कोने–कोने में आग सी लगी थी।1।

बिछ रही थी लाशों पर लाशें,
दोनों ओर, खून की नदी बह निकली।
बंधन टूटे, परिवार टूटे, न पता चला ओर–छोर,
आम आदमी की जिंदगी बिखर चली।2।

भारत माता लज्जित थी,
क्योंकि उसकी काया बंटी दो टुकड़ों में।
बँटवारा ही समाधान है, कइयों की यह जिद थी,
टूट के बिखर गया, देश एक ही पल में।3।

थी चाल घिनौनी अंग्रेजी शासन की,
जाते–जाते फूट डाल गए।
माँग बढ़ायी हिंदुस्तान–पाकिस्तान की,
अलगाववादी बीज बो के चले गए।4।

लाखों बेघर स्त्री–पुरुष और बच्चों के क्रंदन के बीच,
बरसों के बाद पायी आजादी का बिगुल बज उठा।
बहुत महंगी पड़ी आजादी, पड़ गया दुश्मनी का बीज,
त्राहि–त्राहि की आवाजों में तिरंगा लहरा उठा।5।

अड़सठ सालों बाद भी,
टूटे रिश्तों से लहू रिस रहा है।
नहीं चाहता करना, कोई भी मरहम–पट्टी,
अवसरवादियों की आग में, आम इंसान झुलस रहा है।6।

दोनों ओर के सियासतदारों में लगी है होड़,
इसमें पैदा हो रहे हैं आतंकवादी।
जनता की जरूरतों से ली हैं निगाहें मोड़,
पलक मूँदकर देशों की आहुति लगा दी।7।

वोट की राजनीति में, सभी कुछ है मिटता,
पाँच साल की गद्दी मिले, लगता न फिर कोई फेरा।
जला दी मानवीय मूल्यों अरु नैतिकता की चिता,
अरु लाखों की जिंदगी पर फिर छा गया घना अंधेरा।8।

निर्धनों की भुखमरी और युवाओं की बेरोजगारी,
ध्यान इस पर कभी किसी का जाता नहीं।
तुमने बम बनाया, अब मेरी है बारी,
गोलीबारी में मरते निरीह, झूठी हमदर्दी दिखाते सभी।9।

अभी मिटा भी नहीं मानस पटल से,
लहुलुहान जलते हिरोशिमा का भयानक दृश्य।
आमने–सामने हैं परमाणु संपन्न भारत–पाकिस्तान,
आतुर दोनों दिखाने एक, दूसरे को मौत का नृत्य।10।

** वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

किसानों की दशा और दिशा

राजेश कुमार कर्ण*

एक पुरानी कहावत है– 'ऊपर भगवान, नीचे किसान'। लेकिन कोई किसान की पूजा करना तो दूर उसकी सुध भी नहीं लेता। किसान हमें खाद्यान्न देने के अतिरिक्त भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी सहेज कर रखे हुए हैं। कृषि ही उनकी शक्ति है और भक्ति भी। वे हमारे पालनकर्ता अर्थात आधुनिक विष्णु हैं। लेकिन इतने बहुमूल्य योगदान के बदले में उन्हें अपना उचित मेहनताना तक नहीं मिल रहा है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक उनका जीवन अभावों एवं कष्टों में ही गुजरा है। अंग्रेजों के शासनकाल में दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था के दुष्परिणाम भारतीय किसानों ने भुगते हैं। कृषि प्रधान भारत के 90% किसान इस दौरान जमींदारी प्रथा के कारण भूमि की उपज के सुख से वंचित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भूमिधर कम थे एवं भूमिहीन ज्यादा, खेती के पिछड़ेपन के कारण प्रति हेक्टेअर उत्पादन बहुत कम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं– सिंचाई के लिए नहरों, ट्यूबवेल का निर्माण, रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक औषधि, आधुनिक खेती की जानकारी, बैंकों से ऋण आदि की व्यवस्था। इससे कुछ बड़े किसानों के दिन सुधरे हैं किंतु बहुसंख्यक छोटे किसान आज भी जीवन की तीन मौलिक सुविधाओं– रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित हैं। किसानों की संख्या घट रही है और खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और खेती छोड़कर वे नौकरी की खोज में शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। भूख और प्यास से मौत जब मुहाने पर खड़ी दिखती है तो शहर की ओर पलायन करना मजबूरी हो जाती है। आज पंजाब के किसान खेती करने के लिए आस्ट्रेलिया एवं कनाडा जा रहे हैं, इसी प्रकार, बिहार, उत्तर प्रदेश के किसान पंजाब जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में खेती कौन करेगा? किसानों को अपने गांव में ही बेहतर सुविधाएं देना समय की मांग है।

किसानों की समस्याएं अनगिनत हैं। न पर्याप्त पानी है, न पर्याप्त बिजली है और न पर्याप्त बारिश होती है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि 33 करोड़ लोग (कुल आबादी के 25%) सूखे से प्रभावित हैं, 256 जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है। आज भी हमारे किसान खेती के लिए प्रकृति पर आश्रित हैं। उन्नत बीज, रासायनिक खाद, उचित सिंचाई व्यवस्था, खेती की आधुनिक तकनीकें, पैदावार के भंडारण, प्रसंस्करण और मार्केटिंग की सुविधाएं आम किसान की पहुंच से दूर हैं। बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, कीटों एवं जानवरों द्वारा फसल की बर्बादी, रोजगार की कमी, कम आय एवं खराब कार्यदशाएं, सरकारी निवेश की कमी, लागत में वृद्धि एवं उत्पाद मूल्य में कमी, यूनियन का अभाव, कम ब्याज एवं आसान शर्तों पर ऋण की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं उनके जीवन का अंग बन चुकी हैं। हमेशा से बदहाल रहने वाले वे किसान भी अब हाशिये पर चले गए हैं जिन्हें पहले ही दो वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। पानी के अभाव में किसान कम खेतों में ही फसल की बुआई कर पाते हैं, उसे भी प्रायः नीलगाय एवं जंगली सुअर नष्ट कर देते हैं। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने लगभग तीन हजार नीलगायों को गोली से मरवा दिया जबकि उसे पशु शिविर में लाकर नियंत्रित भी किया जा सकता था। आखिर पशु भी हमारी तरह प्रकृति का हिस्सा हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति, पशु और इंसान एक–दूसरे के पूरक हैं, दुश्मन नहीं। हमें किसानों को मात्र सरकार या भगवान भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। हमें भी उन किसानों के लिए कुछ सकारात्मक पहल करनी चाहिए जो हमें अन्न देकर जिंदा रखने के लिए भूखे पेट सोते हैं।

सरकारी तौर पर जो थोड़ी–बहुत सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, शिक्षा के अभाव एवं गरीबी के कारण वे उनका पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाते। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार देश के आधे से ज्यादा किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' व्यवस्था की जानकारी ही नहीं है और जिनको इसकी जानकारी है उनके आसपास सरकारी विक्रय केन्द्र ही नहीं है। परिणामस्वरूप वे बिचौलियों के हाथों अपने उत्पाद औने–पौने दाम पर बेचने को विवश हैं। फसल कम हो या बहुत ज्यादा हो, नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है। इस साल प्याज की बंपर फसल हुई है, इसलिए मंडी में दाम गिरकर एक–तिहाई रह

स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

गए हैं। हर साल ये कहीं न कहीं होता है। बंपर फसल के फेर में कभी प्याज उगाने वाले किसान तो कभी आलू उगाने वाले किसान तो कभी कोई अन्य फसल उगाने वाले किसान फंसते हैं। उदाहरणार्थ, हाल ही में महाराष्ट्र के देवीदास परभणे नामक किसान ने एशिया के प्याज के सबसे बड़े थोक बाजार नासिक में 952 किलो प्याज 1523 रुपये 20 पैसे में बेचा और उसे बचत हुई मात्र एक रुपए की। अगर महीनों की मेहनत पर किसान के हाथ में एक रुपया बचेगा तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी हालत किस हद तक बदतर है। लगातार दो सूखों ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है उनको पैदावार से मिलने वाली निम्न कीमत। वर्ष 2016–17 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का केंद्र सरकार का कदम अच्छा है, लेकिन किसानों को उनकी बदहाली से बाहर निकालने के लिए यह नाकाफी है। गेहूं और कपास की कीमतों में प्रति क्विंटल 60 रुपए, ज्वार तथा बाजरे की कीमतों में प्रति क्विंटल 55 रुपए तथा मक्के की कीमतों में 40 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली वृद्धि की गई है। बढ़े हुए यह दाम ऊँट के मुंह में जीरा के समान ही है। जब फसलों के दाम समुचित नहीं बढ़ेंगे तो किसानों की न तो क्रय शक्ति बढ़ पाएगी और न ही उनके जीवन स्तर में कोई सुधार ही होगा। इधर पिछले कुछ सालों से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी हैं। वर्ष 2001 से अबतक दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में लगभग 400 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, रासायनिक खादों के औसतन दाम 300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 1400 रुपए हो गये हैं तथा कीटनाशकों के औसतन दाम 100 रुपए से बढ़कर 400 रुपए हो गए हैं। अन्य वस्तुओं के दामों में इतनी वृद्धि के बावजूद कृषि उत्पादों की कीमतों में इन वर्षों में मात्र 75 प्रतिशत की वृद्धि ही हुई है। इसके परिणामस्वरूप किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य या लागत मूल्य को अपर्याप्त मानकर 'समता मूल्य' की मांग करने लगे हैं जिसे किसी भी पुराने वित्त वर्ष को आधार वर्ष मानकर अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में हुई वृद्धि के अनुपात से किसानों को 'समता मूल्य' दिया जा सकता है। इससे किसान संपन्न और खुशहाल होंगे। यह भी सच है कि किसी भी व्यवसाय में सिर्फ लागत मूल्य प्राप्त होने से काम नहीं चलता। लाभ किसी भी व्यवसाय में जरूरी होता है। दुर्भाग्यवश लाभकारी मूल्य किसानों को अबतक नसीब नहीं हुआ है। इससे बाध्य होकर किसान धीरे–धीरे खेती छोड़ रहे हैं और अनुमानतः प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि खेती के दायरे से बाहर होती जा रही है। कृषि क्षेत्र में जान फूंकने के लिए जरूरी है कि किसानों की आय बढ़ाना सुनिश्चित किया जाए। चूँकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने से महंगाई बढ़ेगी इसलिए सरकार किसानों को उनके उत्पाद के हिसाब से समुचित सब्सिडी देकर इस समस्या से छुटकारा दिला सकती है। इससे बेहतर कोई सटीक विकल्प नहीं है। इससे किसान भी खुशहाल होंगे और अन्य देशवासी भी महंगाई की मार से बचेंगे।

कहा जाता है कि छोटा किसान कर्ज में जन्म लेता है, सहकारी–प्रथा में जीवन–भर पिसता है और कर्ज में डूबकर मर जाता है। एनएसएसओ के अनुसार पिछले 11 वर्षों में कर्ज से दबे किसानों की संख्या 51.9% है, 40.2% किसानों को सेठ और साहूकार से 24 से 60% वार्षिक ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। उसे उम्मीद होती है कि वह ऋण खेती की आय से चुका देगा, पर खेती उसे प्रायः दगा दे देती है। समय बीतता जाता है और ब्याज बढ़ता जाता है फिर इसकी कीमत किसान को अपनी जमीन बेचकर या आत्महत्या करके चुकानी पड़ती है। बैंक उद्योगपतियों को करोड़ों रूपए का ऋण आसान शर्तों पर दे देता है और वसूली के लिए जल्दी नहीं करता। इसका फायदा उठाते हुए बहुत से उद्योगपति अपने को दिवालिया घोषित कर बैंक का रुपया डकार जाते हैं, पर किसान फसल बर्बाद होने के कारण सही समय पर पैसा न लौटाए तो बैंककर्मी उनकी जमीन की कुर्की करने शीघ्र पहुंच जाता है। इलेक्ट्रोनिक सामान की खरीद के लिए ऋण शून्य ब्याज पर आसानी से मिल जाता है तो खेती के लिए क्यों नहीं? कैसी विडम्बना है कि किसान अपना सारा जीवन परोपकार में बिता देते हैं पर उनके जीवन के सुरक्षा की चिंता किसी को भी नहीं होती। वर्ष 2004 से अबतक 1,63,795 किसानों ने आत्महत्या की जो कि हत्या प्रतीत होती है। आत्महत्या के कारणों को लेकर विद्वानों/सरकारों के चाहे जो भी विचार हों, लेकिन एक बात तो निर्विवाद है कि हर आत्महत्या में जीवन के आखिरी क्षण तक खुद को बचाने की एक खामोश पुकार होती है, जिसे शायद कोई समझ नहीं पाता। मुसीबत की घड़ी में यदि किसी ने उसे सहारा दिया होता, तो शायद उसका फैसला बदल सकता था। मुसीबत में उन्हें सरकार से आस होती है पर सरकार तो प्रायः अपने फायदे (वोट बैंक) के लिए काम करती है। चुनाव के समय गरीबी उन्मूलन का दावा करके पार्टियां वोट बटोरती हैं और सत्ता में आते ही सरकार अमीरों की हो जाती है। अच्छे दिनों की चाह में बुरे दिन कब गले पड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सच्चाई यह है कि आजादी के 68 वर्षों के बाद भी किसानों की समस्याओं और दर्द को ठीक से समझा ही नहीं गया। अगर समझा गया होता तो उन्हें दूर करने के लिए

सटीक रणनीति बनाई गई होती। वर्षों से किसान फसलों की बर्बादी से परेशान होकर खुदकुशी करने पर आमादा है। किसान मरना नहीं चाहता किंतु सिस्टम उसे मरने के लिए मजबूर कर देता है। मुआवजा के नाम पर भी खेल होता है। सरकार से उसे मुआवजे के रूप में 75, 100, 250, 500 रुपए का चेक मिलता है जो और भी ज्यादा दुखद और हास्यास्पद है। किसानों के फसलों को कितना नुकसान हुआ, इसके आकलन की कोई त्रुटिहीन व्यवस्था ही नहीं है। प्रायः अधिकारी ऑफिस में बैठकर ही फसल के नुकसान का मुआवजा तय कर देते हैं जो 'ढाक के तीन पात' की तरह साबित होते हैं।

एक विज्ञापन खूब कहता है– 'क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है'। फॉग अर्थात कोहरा। किसान का भविष्य भी कोहरे की तरह धुंधला या अनिश्चित लग रहा है। जब सभी राजनीतिक दल सचमुच किसानों के मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति करने की बजाय एकजुट होकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ें, तो यह फॉग हट सकता है। लेकिन 'एक गेहूँ का दाना बोओ तो सौ गेहूँ उगेंगे' ऐसी हवाई सोच रखने वाले राजनेता एवं अधिकारी किसानों के उपज की कीमत तय करते हैं जो बहुत ही कम होती है। खेती के लिए किसान द्वारा प्रयुक्त खाद, बीज, पानी, बिजली, डीजल, ट्रैक्टर, कुदाल, थ्रेसर आदि का मनमाना कीमत कोई और तय करता है, किसान को अपने फसल की कीमत स्वयं निर्धारित करने का भी अधिकार नहीं है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि खेती में लागत बढ़ती है और आमदनी घटती है। यदि कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाए तो किसान को अपनी फसल की कीमत निर्धारित करने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन सरकार की दलील होती है कि इससे किसान पर टैक्स लग जाएगा। वास्तविकता यह है कि किसान अपनी आवश्यकता की जितनी भी वस्तुएं खरीदता है, सभी पर टैक्स देता है। किसान को यह दिवास्वप्न भी दिखाया जाता है कि कृषि आय इनकम टैक्स से मुक्त है। अधिकांश किसानों के लिए खेती तो घाटे का सौदा है। जब किसान को आमदनी होगी तभी तो वह टैक्स देगा।

चूंकि खेती से होने वाली आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए यह ब्लैकमनी को सफेद करने का बेहतरीन जरिया बनी हुई है। एक टीवी न्यूज चैनल 'न्यूज नेशन' की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011–12 में 6.50 लाख किसानों ने लगभग 2 हजार लाख करोड़ की कमाई की, जो देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। बहुत से उद्योगपति, राजनेता, एक्टर, राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी बेहिसाब कमाई को खेती से हुई आमदनी बताकर टैक्स चोरी कर रहे हैं। सरकार को यह बात वर्षों से पता है कि कृषि आय के नाम पर कालेधन को सफेद करने का गोरखधंधा चल रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया क्योंकि लगभग हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। बेईमान लोग या तो खुद को किसान बताकर कुछ जमीन खरीद लेते हैं या गांवों में अपनी पुश्तैनी जमीन का प्रमाण देकर व्यापारियों से अनाज बेचने की फर्जी रसीद ले लेते हैं। भारत में भ्रष्ट व्यापारियों, उद्योगपतियों, राजनेताओं, अमीर लोगों एवं अधिकारियों में एक अघोषित समझौता है जिसके तहत वे ब्लैकमनी बचाने में एक–दूसरे का सहयोग करते हैं। सीलिंग कानून के कारण किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं बची है, इसलिए इनसे करोड़ों की आय असंभव है। इसकी जांच यदि ईमानदारी से की जाए तो उसमें कई व्यापारी, उद्योगपति, नेता और नौकरशाह फंसेंगे। दुर्भाग्यवश सरकार भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी पर नियंत्रण नहीं कर पाती और अपने बढ़े हुए खर्चे की पूर्ति के लिए टैक्स पर टैक्स लगाती रहती है। किसान अन्नदाता हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, और खेती के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों को दंडित करने की जरूरत है।

किसानों की बदहाली के पीछे सरकारी उदासीनता मुख्य रूप से जिम्मेदार रही है। ऐसा कहा जाता है कि भारत तीन इंजन का एयरक्राफ्ट है जिसमें पहला इंजन इंडस्ट्री है, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट यानी शिक्षा व स्वास्थ्य और तीसरा रूरल डेवलपमेंट यानी किसान व खेती। अभी तक हम सिर्फ इंडस्ट्री के सहारे उड़ान भर रहे हैं, जिस दिन बाकी दोनों इंजन भी खोल दिए गए तो हम दुनिया में नंबर एक होंगे। हमारे पिछड़ने का मूल कारण यही है कि जो हमारा सबसे बड़ा आर्थिक समृद्धि का स्रोत हो सकता है यानी किसान, उसकी ओर हमने सबसे कम ध्यान दिया। थोड़ी देर से ही सही किंतु केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान केन्द्र सरकार की नेक नियति को दर्शाता है। 'अन्नदाता सुखी भवः' के मंत्र के साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा परीक्षण कार्ड, पशुपालन/मत्स्य पालन, फसल चक्र, नीम कोटेड यूरिया, किसान चैनल, ई–मंडी, जल संरक्षण, 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप', वनीकरण, भूमिक्षरण की रोकथाम, ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा, मनरेगा का विस्तार, सब्सिडी सीधा किसानों के खाते में देने जैसी पहल किसानों की दशा और दिशा, दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा प्रीमियम की राशि बहुत कम कर दी गई है जैसे कि रबी फसलों पर 1.5 प्रतिशत, खरीफ पर दो प्रतिशत

और व्यावसायिक अथवा बागवानी खेती पर पांच प्रतिशत। इससे किसान बीमा लेने में प्रोत्साहित होंगे और अपने को संकट मुक्त करने में भी सक्षम होंगे।

अभी देश की सकल आय में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का योगदान मात्र 17.5 प्रतिशत है जबकि कुल रोजगार का 49 प्रतिशत इस क्षेत्र से सृजित होता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा लोग बहुत कम कमा रहे हैं। इसी की परिणति हमें प्रति व्यक्ति कम आय और गरीबी में दिखाई देती है। इसलिए किसानों की आय में वृद्धि करना सबसे जरूरी है। केन्द्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का सपना देखा है। इसके लिए अगले छह वर्षों में कृषि वृद्धि दर को 12 प्रतिशत से ऊपर रखना होगा। यह मुश्किल जरूर है किंतु इरादा अगर अटल हो तो यह असंभव नहीं है। मध्य प्रदेश यदि 12 प्रतिशत कृषि विकास दर हासिल कर सकता है तो अन्य राज्य क्यों नहीं? इसमें सरकार के साथ–साथ हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। हर नई तकनीक, नए उपकरण, नए प्रयोग, नई स्कीम पर किसानों को दिलचस्पी लेनी चाहिए। किसान अधिक उपज के लालच में अंधाधुंध तरीके से रासायनिक खादें एवं कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं जिससे देश में कैंसर ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। हर रात अबोहर (पंजाब) से बीकानेर (राजस्थान) के लिए एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही लोगों ने 'कैंसर ट्रेन' रख दिया है। इस ट्रेन में इलाज कराने के लिए राजस्थान जाने वाले कराहते कैंसर पीड़ितों को देख किसी का भी हृदय द्रवित हो सकता है। आदमी के साथ–साथ पशु भी कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। किसान जैविक खादों का इस्तेमाल करने के साथ–साथ कृषि की अन्य आधुनिक विधियां अपनाएं जिनसे पानी भी कम लगे और उन्नत किस्म के बीजों के इस्तेमाल एवं फसल चक्र अपनाने से अधिक पैदावार भी प्राप्त हो और किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी उत्पन्न न हो। कृषि में शोध हो, 'ड्राइ–लैंड फार्मिंग' की तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए जिससे बरसात पर निर्भरता कम हो। इसी तकनीक से ब्राजील एवं रेगिस्तान जैसे इजरायल में कृषि क्रांति आयी है। किसानों को मांग के अनुसार पैदावार करनी चाहिए। आज हर्बल उत्पादों की मांग दुनिया भर में है। भारत के मौसम और मिट्टी अलग–अलग इलाकों में तरह–तरह की जड़ी बूटियों की खेती में मददगार हैं। यह कुदरत की देन है। किसान तरह–तरह की जड़ी–बूटियों की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। प्रधान मंत्री का विचार इस मायने में आशाजनक है कि वे खुद कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। हर क्षेत्र में लीक से हटकर कुछ नए प्रयोग हों, वे यह चाहते हैं। सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, वित्तीय और कृषि से जुड़े संस्थान मिल कर किसानों की कायापलट कर सकते हैं। किसानों के उद्धार के लिए कई योजनाएं तो पहले भी रही हैं किंतु पर्याप्त बजट के अभाव में वह सफल नहीं हुई हैं। उम्मीद है कि केंद्र सरकार कथित टैक्सचोरों से पैसा वसूलकर किसानों की मूलभूत आवयकताओं को पूरा करने पर खर्च करेगी जिससे किसानों की बदहाली दूर होगी।

गुज़ारिश

कुसुम उपाध्याय*

मेरे दिल तू मुझसे खफा न हो जाना,
अभी तो ये सफर अधूरा पड़ा है।
मैं तन्हा कहाँ तक अकेली चलूँगी,
साँसों पर दर्दों का पहरा कड़ा है।

दर्दों से मुझे शिकायत नहीं है,
एक आरजू है रिवायत नहीं है।
तू साथ दे तो कभी न रुकँगी,
अंधेरों उजालों से लड़ती रहूँगी।
लम्बा सफर है अंधेरा बड़ा है,
अभी तो ये सफर अधूरा पड़ा है।
मेरे दिल तू.......................

मेरे साथ रिश्तों का सामान है,
सामान क्या है ये अरमान है।
इसे कैसे छोडूँ और किस पर छोडूँ,
यही इस जनम की पहचान है।
आगे मैं बेशक अकेली चलूँगी,
मगर पीछे यादों का मेला खड़ा है।
अभी तो ये सफर अधूरा पड़ा है।
मेरे दिल तू.......................

परेशाँ हूँ तुम मुझपे ना मुस्कराओ,
मेरा साथ दे दो न आँखें चुराओ।
तुम्हारे ही दम से दुनिया हसीं है,
तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है।
मैं हूँ एक नादान मिट्टी की मूरत,
तुम्हारे बिना तो सब सूना पड़ा है।
अभी तो ये सफर अधूरा पड़ा है।
मेरे दिल तू.......................

* *वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान परिसर, नौएडा*

जंगी विमान उड़ाएंगी तीन महिलाएं

भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने लैंगिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को युद्धक भूमिका प्रदान करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, प्रस्तुत है उससे संबंधित विभिन्न संचार माध्यमों से संकलित सामग्रीः

हाल ही में भारतीय वायु सेना ने 18 जून 2016 को इतिहास रचते हुए अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह को महिला फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्रदान किया है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा कि आने वाले वर्षों में सशस्त्र बलों में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल की जाएगी। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत सरकार ने वायुसेना को महिलाओं को फाइटर पायलट बनाने की अनुमति दी थी। वायु सेना में तीन महिलाओं को लड़ाकू विमानों की पायलट के तौर पर शामिल किए जाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व और खुशी का विषय बताया।

सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता के प्रयास को आगे बढ़ा रहे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने हैदराबाद शहर के बाहरी क्षेत्र डुंडीगल में स्थित वायुसेना अकादमी में आयोजित संयुक्त ग्रेजुएशन समारोह में इन तीनों की यूनिफॉर्म में पायलट का प्रतीक चिह्न 'विंग' लगाया। इसके पहले तीनों ने 150 घंटे की अनिवार्य उड़ान और कठिन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की। हालांकि, इन्हें लड़ाकू विमान उड़ाने का मौका एक साल बाद मिलेगा, जब वे तीसरे चरण का प्रशिक्षण पूरा कर लेंगी। दुनिया में मात्र 20 देश ऐसे हैं जहाँ महिलाओं को बतौर लड़ाकू विमान पायलट वायुसेना में शामिल किया गया है। सबसे पहले तुर्की की सबीहा गोसेन वायुसेना में शामिल हई थीं। वह तुर्की के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क की गोद ली हुई बेटी थीं। उन्होंने रूस में विमान उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और 1936 में वह दुनिया की पहली लड़ाकू विमान महिला पायलट बनीं। उसके बाद द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ की लाइडिया लितव्याक और येकेतेरिना बुदानोवा वायुसेना में शामिल हुई थीं। काफी अरसे बाद 1989 में कनाडा की डियना मैरी ब्रूसर और जेन फोस्टर लड़ाकू विमान की पायलट बनीं। इसके बाद 1990 में

18 जून 2016 को वायु सेना में कमीशन मिलने के बाद मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ

स्वीडन, 1992 में नॉर्वे, 1993 में नीदरलैंड एवं अमेरिका, 1994 में ब्रिटेन, 1997 में बेल्जियम, 1999 में फ्रांस, 2002 में फिनलैंड, 2003 में सिंगापुर, 2005 में डेनमार्क, 2007 में जर्मनी, 2008 में दक्षिण कोरिया, 2012 में पोलैंड, 2013 में पाकिस्तान और 2014 में संयुक्त अरब अमीरात में लड़ाकू विमान महिला पायलट बनीं।

ekguk flg राजस्थान के झुंझुनू की निवासी हैं और उनके लिए यह अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने जैसा है। उनके दादा एविएशन रिसर्च सेंटर में फ्लाइट गनर थे और पिता वायुसेना में वारंट अफसर हैं। स्कूली शिक्षा एअर फोर्स स्कूल, नई दिल्ली से करने के बाद आपने ग्लोबल इंस्टीट्यूट से इलैक्ट्रॉनिक्स में बी.टेक किया।

vouh flg मध्य प्रदेश के सतना की निवासी हैं और उनके परिवार के कई सदस्य सैन्य अधिकारी रहे हैं। वह हमेशा से उड़ना चाहती थीं। इसलिए वह अपने कॉलेज के फ्लाइंग क्लब में शामिल हुईं। स्कूली शिक्षा रीवा के आदर्श विद्यालय से करने के बाद अवनी ने वनस्थली विद्यापीठ से कंप्यूटर साइंस में बी.टेक किया।

Hkkouk dB का जन्म बिहार के बरौनी शहर में हुआ। वैसे वह दरभंगा जिले के बौर गाँव की मूल निवासी हैं। उनका बचपन से विमान उड़ाने का सपना था। शुरुआती शिक्षा बरौनी के डीएवी स्कूल से करने के बाद भावना ने बेंगलुरु के बीएमएस कॉलेज से मेडिकल इलैक्ट्रोनिक्स में बी.ई. किया।

समान पोषण समान अधिकार सतत विकास का पुख्ता आधार

नीलम मदान*

भरना चाहती हूँ अपने पंखों में ताकत
उड़ना चाहती हूँ खुले आसमान में
मगर सब यह क्यूं कहते हैं
लड़की हो लड़की की तरह रहो
मत खेलो कूदो मत ज्यादा खाओ
ऐसे वैसे न जाने कितनी है रोक
और तो और मेरे हंसने पर भी टोक
अज्ञान के कुएं से बाहर आना चाहती हूँ
जो हो मेरे ज्ञान कौशल क्षमताओं का उपयोग
तभी बनेगा सतत विकास का संयोग

वैदिक काल से ही यह देश विदूषियों और वीरांगनाओं का देश रहा है। सीता, सावित्री, अरूंधती, द्रोपदी की महानता, त्याग, संकल्पशक्ति; मैत्रयी, तेजस्विनी, गार्गी, अपाला, लोपा मुद्रा की विद्वता; महारानी अहिल्याबाई, जीजाबाई, चेन्नमा, दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई जैसी महिलाओं के वीरता एवं शौर्य के तेज की रोशनी सदा राह दिखाती रही है।

वेद ऋचाएँ रची थीं मैंने
रण कौशल मैंने दिखलाया।।
हर हुनर में संकल्पबद्ध हो
खुद को पारंगत कर दिखलाया।।
यह संघर्ष नया नहीं है हर युग में था एक समान
अपने हिस्से की धरती चाहूं अपने हिस्से का आसमान।।

सृष्टि का आधार हैं प्रकृति और पुरूष। किसी भी परिवार, समाज और देश का सतत सम्पूर्ण सार्थक विकास तभी संभव है जब उसमें रहने वाले सभी सदस्यों की विकास में भागीदारी हो और सबको विकास का फल मिले। यह मुद्दा एक देश से नहीं जुड़ा है पूरी दुनिया से। जिस पर गंभीरता और सक्रियता से विचार और काम किया जाना जरूरी है। आओ कदम बढायें लैंगिक असमानता मिटायें – सतत विकास का लक्ष्य पायें यही विषय है वर्ष 2016 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। आधी आबादी यानि महिलाओं को स्वस्थ सबल सशक्त बनाया जाए तभी होगा सम्पूर्ण विकास, सतत विकास, सार्थक विकास।

सब का साथ सब का विकास, सब की क्षमताओं का सम्मान
सतत विकास तभी संभव, सभी सुविधाएँ मिले समान ।।

लड़का हो या लड़की, सबकी समान बुद्धि, प्रतिभा व क्षमता है। सिद्ध हो चुका है अनेक परीक्षा परिणामों से कि केवल गृह विज्ञान ही नहीं हर विज्ञान को समझने में समर्थ हैं लड़कियाँ। ज्ञान–विज्ञान, खेल, चिकित्सा, राजनीति, प्रौद्योगिकी, रक्षा सामाजिक सेवा हर क्षेत्र में पुख्ता पहचान बनाई है महिलाओं ने, सिद्ध किया है अपनी प्रतिभा को।

कुछेक नहीं अनेक महिलाएँ मिसाल कायम कर सकती हैं। परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकती हैं, समाज के विकास को उन्नत बना सकती हैं, देश को आगे ले जा सकती हैं बशर्ते कि उन्हें समान पोषण, शिक्षा व अवसर प्रदान किए जाएँ, बनाया जाए उन्हें सबल व सशक्त।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था –
सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र।

भारत गांवों का देश है। यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। बीज की तैयारी से लेकर खेतों की बुवाई, निराई–गुड़ाई, खरपतपार निकालना, खाद की ढुलाई, फसल की कटाई भण्डारण आदि तमाम गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी रहती है। इसके अतिरिक्त पशुपालन से जुड़े अनेकों काम – पशुओं की देखभाल, चारा पानी का प्रबंध, कुट्टी काटना, पशुओं व पशुशाला की सफाई, गोबर की खाद बनाना, नवजात बच्चों की देखभाल, दुग्ध दोहन, आदि काम उसके हिस्से आते हैं तिस पर उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल होते हैं जरूरी घरेलू काम – ईंधन का प्रबंध, खाना पकाना, घर की साफ–सफाई, बच्चों की देखभाल जिन्हें किसी भी तरह छोड़ा नहीं जा सकता।

कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में तमाम तरक्की और विकास में दो तिहाई से ज्यादा तथा अहम योगदान है महिलाओं का।

पकी सुनहरी फसलों से जब भरता है खलिहान
दाना–दाना करता है उनकी मेहनत का बयान।।

जी तोड़ मेहनत के बाद जरूरी है भरपेट भोजन, पूरा पोषण। मगर पूरे घर भर का ध्यान रखने वाली महिला

** प्रधान निजी सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय*

न स्वयं भरपेट खाती है और न ही अपनी बेटी को खिलाती है। अच्छा भोजन, पोषण सब पुरूषों के हिस्से। जरा सोचिए कि परिवार की गाड़ी का एक पहिया सबल सुदृढ, एक निर्बल कमजोर। फिर क्या होगी गाडी ही हालत, क्या होगी उसकी रफ्तार।

समानता का पहला कदम है पोषण की समानता। अनेक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत में कुपोषण का सबसे अधिक शिकार महिलाएँ व बच्चे हैं। महिलाओं को पुरूषों के मुकाबले ज्यादा खुराक पोषण की आवश्यकता होती है।

कुपोषण बीमारियों को जन्म देता है, क्षमताओं, आर्थिक सामाजिक विकास को कमजोर करता है। बहुत जरूरी है कि बच्चियों को भी पूरी खुराक पोषण दिया जाए। महिलाएँ स्वयं भी भरपेट खायें व अपनी बच्चियों को भी खुलकर बोलना व भरपेट खाना व अपनी सेहत का ध्यान रखना सिखायें। अच्छी खुराक, पोषण देना वर्तमान के लिए ही नहीं भविष्य के लिए भी सुखद है।

माँ बनना हर महिला के लिए गौरव का विषय है पर देश के स्वस्थ भविष्य के लिए जरूरी है, स्वस्थ जच्चा–स्वस्थ बच्चा। सच यही है कि परिवार की खुशहाली, समाज की समृद्धि और राष्ट्र की उन्नति टिकी है सुदृढ नींव पर।

सशक्तीकरण का दूसरा आधार है शिक्षा – देश की आधी आबादी महिलाएँ शिक्षित होंगी तो देश विकास करेगा दुगनी शक्ति के साथ।

जब जीवन की देहरी पर ज्ञान का दीपक जलता है,
छूमंतर होते अंधियारे हर ओर उजाला फैलता है।

गांव की पगडंडियों से चलकर आज अनेक महिलाएँ ज्ञान–विज्ञान, कला, तकनीकी प्रौद्योगिकी, चिकित्सा हर क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में विभिन्न डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों में महिलाओं की बढ़ती संख्या शुभ संकेत है क्षमताओं के बेहतर उपयोग का, समवेत विकास का।

न समझो कमजोर मुझे, दो पोषण अवसर शिक्षा समान।
फिर देखो पंखों की ताकत, फिर देखो तुम मेरी उड़ान।।

हम अपनी बच्चियों को संस्कार दें, शिक्षा का अधिकार भी दें और उनके पंखों को पोषण की ताकत दें, उड़ने का हुनर दें। इस दिशा में भारत सरकार संकल्पबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ किया गया बेटी बचाओ– बेटी पढाओ अभियान पूरी सफलता के साथ देश भर में चलाया जा रहा है।

सत्ता के विकन्द्रीकरण को बल मिला पंचायती राज से और साथ ही बल मिला महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण को। पंचायती राज के तीनों स्तरों पर सभी पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण गाँव, समाज, सब के हित में है।

अध्ययनों से दुनियाभर में यह साबित हुआ है कि नेतृत्वकारी पदों पर महिलाओं के होने से, मूल तौर पर सरकार में निर्वाचित पदों पर महिलाओं के होने से भ्रष्टाचार में कमी आती है तथा शांति और सुरक्षा मजबूत होती है और सकल घरेलू उत्पादन में बढोतरी होती है।

मेरी बातों के भी अर्थ हैं, मेरे निर्णय का हो सम्मान।
अपने हिस्से की धरती चाहूँ, अपने हिस्से का आसमान।।

सुरक्षित वातावरण में कार्य क्षमता का विकास होता है। अनेक नियम कानून हैं जो महिलाओं की घर और बाहर सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं लेकिन ये तभी सार्थक होंगे जब स्वयं महिलाएँ एवं समाज भागीदार बनें।

अध्ययनों के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि महिलाओं को भी समान अवसर, संसाधनों तक समान पहुंच, उनके अनुकूल कृषि यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण उपलब्ध होने पर महिला संचालित खेती की उपज 20 से 30 प्रतिशत बढ सकती है तथा 100–150 मिलियन लोग भुखमरी से बच सकते हैं। महिला सशक्तीकरण ठोस आधार है भूख व गरीबी मुक्त विश्व की संकल्पना का, सतत विकास का। इसके लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

लगभग हर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फूलों की, औषधीय पौधों की, मशरूम की खेती आदि जैसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिनमें वे महिलाएँ भी लाभान्वित हो रही हैं जिनके पास कम जमीन व कम संसाधन हैं।

भरपूर पैदावार का पूरा लाभ तभी है जब उसके दाने–दाने का उपयोग हो, किसानों को पूरा लाभांश मिले, उपभोक्ता को सदैव उत्पाद मिले। खाद्य प्रसंस्करण

एक तेजी से फलता–फूलता उद्योग है। महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जागरूकता, जानकारी व प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में स्व सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 15–20 महिलाओं को मिलाकर समूह बनाया जाता है। प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमता विकास किया जाता है। खेती से जुड़ी गतिविधियाँ शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

सार यही है कि नारी है तो जीवन की थिरकन है नारी है तो प्रकृति का संतुलन है।

सांसे जब मेरी घुटती हैं, धड़कन धरती की रुकती है।
मैं सृष्टि की जन्मदात्री नए युग का करूं आहवान।
अपने हिस्से की धरती चाहूँ, अपने हिस्से का आसमान।।

साक्षर महिला

बीरेन्द्र सिंह रावत*

साक्षर है अगर महिला, बढ़ती घर की शान।
बेटा बेटी पढ़ेंगे, बढ़ाते सबका मान।
बढ़ाते सबका मान, पायें हर पथ पर काम।
विकास करे समाज, माँ बापू पायें नाम।
कहत सभ्य समाजी, रहे ना कोई निरक्षर।
चहुं ओर विकास हो, यदि सब लोग हों साक्षर।1।

करना है अगर विकास, जानो सब अधिकार।
जी भरकर मेहनत कर, करें खुद का उद्धार।
करें खुद का उद्धार, ना रहें पुरुषों से कम।
निर्भरता छोड़कर, सब दिखाओ अपना दम
कहत सभ्य समाजी, जान कर हर गुण अपना।
सदा सही सोच अरु, चिंता ना कोई करना।2।

दाता के रूप जितने, उतने हैं आपके।
दुरुपयोग ना हो कभी, रखो गाँठ बाँध के।
रखो गाँठ बाँध के, कीमत समय की जानो।
कोशिश आप करने, पर सफल होंगी मानो।
कहत सभ्य समाजी, यह गान मैं गाता।
सद्‌गुणी लोगों का, सदा मान रखे दाता।3।

सरकार भी कुछ न करे, जब मंथन ही न हो।
आपके बिन सब आधा, इक दूजे से कहो।
इक दूजे से कहो, कर जागरूक सभी को।
और समानता का, अधिकार आप अभी लो।
कहत सभ्य समाजी, हाथ पाँव इतने मार,
मजबूर हों सब दल, कानून लाये सरकार।4।

जगत जननी होती यह, देती सबको प्राण।
फिर किसलिए हमसब ना, देते उसको मान।
देते उसको मान, समझकर माँ अपनी।
समझ हर लड़की को, बेटी व भगिनी अपनी ।
कहत सभ्य समाजी, सुन मानवता के भगत।
माँ के मान से ही, खुशहाल रहेगा जगत।5।

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

स्वागतम

सतीश कुमार*

स्वागतम करें साल की ओर..................2
बीते साल को करें अलविदा चलें नये की ओर,
स्वागतम करें साल की ओर।

ढोल सब बजा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं।
जश्न सब मना रहे हैं, मजे में कूद रहे हैं।
आई बनकर खुशहाली, आओ हम सब बजाएं ताली।
खुशी से गले लग जाओ, होठों पर छाई लाली।
आतिशबाजी करते हुए हम देखें गगन की ओर,
स्वागतम करें साल की ओर।

हफ्ते भर तो कार्ड हम सबको भेजते,
नववर्ष मंगलमय हो संदेश सबको भेजते।
रहे परिवार सुखी तुम्हारा, हम ऐसी कामना करते,
सदा प्रगति करो तुम, ईश्वर से प्रार्थना करते।
पिछली बातों को भूल के भैया, करें नया कुछ और,
स्वागतम करें साल की ओर।

कोई मोबाइल पे कहता, कोई फेसबुक पे कहता,
कोई घर जाकर कहता, तो कोई दफ्तर में कहता।
मुबारक सबको कहते, बधाइयां सबको देते।
खुशी से हाथ मिलाते, खुशी से गले लिपटते।
हाथ मिलाकर चलें हाथ में शोर कर घनघोर।
स्वागतम करें साल की ओर।

* *एम टी एस, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

बिहार का नाम रोशन करते ये टॉपर्स

खराब शिक्षा व्यवस्था के लिए बदनाम बिहार में दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में छात्रों को टॉप कराने के लिए साल–दर–साल बाकायदा घोटाला किया जा रहा है। वर्ष 2016 के घोटाले में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों, राजनेताओं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष की संलिप्तता पायी गयी है। इनमें से कई लोग फर्जी टॉपरों के साथ सलाखों के पीछे हैं। इससे देश–दुनिया में बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत ही नकारात्मक संदेश गया। वहीं दूसरी ओर, बिहार में आनंद कुमार एवं अभयानंद कुमार, पूर्व डीजीपी, बिहार पुलिस के सुपर–30 के अलावा वहाँ के दो गाँवों, पटवाटोली एवं परोरिया के छात्रों ने जिन परिस्थितियों में आईआईटी परीक्षा पास की, उनसे हमारे मन में न केवल इन छात्रों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है अपितु हमें यह सीख भी मिलती है कि संकल्प, समर्पण एवं कड़ी मेहनत के क्या मायने होते हैं। इन प्रतिभाशाली एवं कर्मठ छात्रों के उदाहरण देश के तमाम छात्रों के लिए प्रेरणा का काम करने के साथ ही बिहार का नाम रोशन करते हैं। प्रस्तुत हैं विभिन्न संचार माध्यमों से संकलित दो प्रसंगः

i½ iVokVksyh% बिहार के गया जिले के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को अध्यात्म की दुनिया का पुरोधा कहा जा सकता है जिन्होंने सबसे मुश्किल खोज यानी स्वयं की खोज का रास्ता बताया था। इसी तरह, गया जिले के पटवाटोली गाँव के छात्र भी अभावों में जीते हुए एवं कठिन आईआईटी एडवांस्ड परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए देश–विदेश में इंजीनियरिंग वाले ज्ञान का झंडा फहरा रहे हैं। पटवाटोली गाँव बुनकरों की आबादी के लिए जाना जाता है लेकिन यह गाँव सौ फीसदी शुद्ध टॉपर पैदा कर रहा है। यहाँ की महज 10 हजार की आबादी में से अब तक 100 से ज्यादा इंजीनियर निकल चुके हैं। इस वर्ष इस गाँव के 14 छात्रों ने आईआईटी एडवांस्ड परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। पिछले साल भी इस गाँव के 16 छात्र आईआईटी एडवांस्ड परीक्षा में अच्छी रैंकिंग के साथ पास हुए थे।

1990 के दौर में जब इस गाँव के आसपास आर्थिक मंदी का दौर आया तो बुनकर अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगे। बुनकरों के इस गाँव में इस सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत 1992 से हुई थी। तब से लेकर आज तक अभाव में रहने के बावजूद इस गाँव के बच्चे लगातार अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं।

1992 में यहाँ के जितेंद्र प्रसाद पहले ऐसे छात्र बने थे जिन्हें आईआईटी में सफलता मिली थी। वर्ष 2000 में वह नौकरी करने अमेरिका चले गए लेकिन उनकी कामयाबी ने छात्रों में इंजीनियर बनने की ललक पैदा कर दी। यहाँ के पूर्व इंजीनियरिंग छात्रों ने मिलकर *'नवप्रयास'* नाम से एक संस्था बनायी है जो आईआईटी की परीक्षा देने वाले छात्रों को पढ़ाई में मदद करती है। पटवाटोली में पावरलूम के शोर के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखने वाले छात्रों का कहना है कि उन्हें शोर से कोई परेशानी नहीं होती बल्कि शोर उनके लिए संगीत की धुन बन जाता है और वे ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हैं।

ii½ ijkfj;k% विकलांगता और गरीबी को धता बताते हुए बिहार के एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाले और पोलियो से पीड़ित कृष्ण और उनके छोटे भाई बसंत ने इस वर्ष आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास की है। हालांकि उनके लिए यहाँ तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। कृष्ण जब छह महीने के थे तब उन्हें पोलियो ने अपनी चपेट में ले लिया था। 18 वर्षीय बसंत कुमार पंडित कई साल तक शारीरिक रूप से अशक्त अपने बड़े भाई को अपने कंधों पर बिठाकर पहले स्कूल और फिर कोचिंग संस्थान लेकर जाता रहा। कृष्ण ने 2016 की आईआईटी–जेईई के परिणाम में ओबीसी विकलांग कोटे में अखिल भारतीय स्तर पर 38वीं रैंक प्राप्त की है और बसंत ने ओबीसी श्रेणी में 3675वीं रैंक हासिल की है।

आज, जब शिक्षा का काफी हद तक व्यसायीकरण हो गया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है तथा समाज में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है, उपरोक्त प्रसंग यह दर्शाते हैं कि यदि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उसे हासिल करने के लिए गंभीर प्रयास करते हैं तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कि हासिल न किया जा सके।

माँ

डॉ. एलीना सामंतराय*

माँ आप से है इस जहाँ का सुकून,
माँ आप से है हमारा वजूद।
आई हैं आप जहाँ में सफेद हंस के जैसे,
प्यार का संदेश फैलाने, वंचित दिलों के मध्य....

फिर भी मैं अभागी सी अकेली पड़ी हूँ,
आप के द्वारा फैलाये हुए अमृत प्रेम का स्वाद लिए बिना...
मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ इस मतलबी जहाँ में,
आपके स्नेह की खुशबू को महसूस किए बिना.....

ओ माँ...... मैं आपसे पूछती हूँ, सिर्फ आप से
क्या मैं कभी आपके इस प्रेम रूपी स्वर्ग का स्पर्श कर पाऊँगी?
माँ आपके स्नेह से वंचित स्पर्श के बिना,
मेरा जहाँ बनावटी खुशियों से ही.....
माँ आप आशीर्वाद दें, अपना आशीर्वाद दें,
क्योंकि आपके लिए माँ मैं तरस रही हूँ।

*एसोसिएट फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

मेरा श्रम मंदिर

डॉ. पूनम एस. चौहान*

तू मेरा जीवन, तू मेरी पहचान है,
ऐ मेरे राष्ट्रीय श्रम संस्थान।
तू मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा,
तुझसे ही है अपना सारा जहान।
ऐ मेरे राष्ट्रीय श्रम संस्थान।।

श्रमिकों के ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र,
सर्वजन के हित में ही है बना।
उनके कष्टों को हरने का ध्यान केंद्र,
देश के मजूदरों का रक्षक है बना।
ऐ मेरे राष्ट्रीय श्रम संस्थान।।

संस्थान, तेरी मिट्टी ने मुझे,
उन्नति का सुंदर रास्ता दिखाया।
गुरुओं ने मुझे अध्ययन, शिक्षण,
प्रशिक्षण, शोध के योग्य बनाया।
ऐ मेरे राष्ट्रीय श्रम संस्थान।।

हमारे परिवारों का पालनहार है,
हमारी प्रतिष्ठा का आधार है।
तुमसे ही तो मेरा अस्तित्व बना,
काम का नूतन आयाम बना।

इसमें तेरा ही तो मान है,
तुझको शत्–शत् प्रणाम है।
ऐ मेरे राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
ऐ मेरे राष्ट्रीय श्रम संस्थान।।

*वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

अफगान संकट से उपजा आतंक का रक्तबीज

बीरेन्द्र सिंह रावत*

बीते कुछ वर्षों में आतंकी वारदातों की मानो बाढ़–सी आ गयी है। एक के बाद दूसरे हमले हो रहे हैं। ये हमले बेशक अलग–अलग महाद्वीपों में अलग–अलग देशों में हो रहे हों परंतु ज्यादातर वारदातों में मुस्लिम आतंकवादियों एवं पाकिस्तान–परस्त संगठनों की भूमिका की बात सामने आ रही है। आतंक की इन बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए इसके उद्‌गम का पता लगाने हेतु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की वैश्विक परिस्थितियों पर गौर करना आवश्यक है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्रों–जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था। किंतु युद्ध समाप्त होते ही संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य अविश्वास व शंका के परिणामस्वरूप तीव्र मतभेद पैदा होने लगे। सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देश और अमेरिका के नेतृत्व में पूँजीवादी देश दो खेमों में बंट गये। दोनों देश अपने–अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करने पर ज्यादा जोर दे रहे थे ताकि भविष्य में वे अपने विरोधी गुट की चाल को आसानी से काट सकें। बहुत जल्द ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी। इस तनाव की स्थिति को शीतयुद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध इन दो महाशक्तियों के बीच आमने–सामने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह युद्ध इन दो महाशक्तियों के बीच परोक्ष रूप से लड़ा गया। इसकी शुरुआत हुई यूनान के गृह युद्ध से। यूनान की सरकारी सेना तथा यूनानी कम्युनिस्ट पार्टी की यूनानी प्रजातांत्रिक सेना के बीच 1946 से 1949 तक चले इस युद्ध में अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन ने सरकारी सेना तथा सोवियत संघ, युगोस्लाविया एवं बुल्गारिया आदि साम्यवादी देशों ने यूनानी प्रजातांत्रिक सेना की सहायता की।

17 मार्च 1948 को बेल्जियम, हॉलैंड, लक्जमबर्ग, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक रक्षा संधि हुई, जिसे ब्रसेल्स की संधि के नाम से जाना गया। इस संधि और सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी का परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी यूरोप के ऊपर–उल्लिखित देशों के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड ने 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का गठन किया। 1954 में पश्चिम जर्मनी को नाटो में शामिल किए जाने की प्रतिक्रिया में सोवियत संघ ने मई 1955 में सात पूर्वी यूरोपीय देशों अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, एवं युगोस्लाविया के साथ मैत्री, सहयोग एवं आपसी सहायता संधि (जो आगे चलकर वारसॉ संधि के नाम से जानी गयी) पर हस्ताक्षर किये। बर्लिन संकट, कोरिया युद्ध, सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण, यू–2 विमान कांड, क्यूबा संकट, वियतनाम युद्ध तथा अफगानिस्तान संकट कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने शीतयुद्ध की ज्वाला को और भड़काया। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन से उसकी शक्ति कम हो गयी और एक तरह से शीतयुद्ध समाप्त हो गया। सैद्धांतिक तौर पर शीतयुद्ध समाप्त तो हो गया परंतु शीतयुद्ध की समाप्ति से पहले, खासकर vQxku ldV में वैश्विक आतंकवाद का बीजारोपण हो गया था और आज वही बीज रक्तबीज (एक पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक ऐसा राक्षस था जिसके खून की हर एक बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था) का आकार ले चुका है और यह पूरी दुनिया में शांति के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है।

अफगानिस्तान गणराज्य की स्थापना 27 अप्रैल 1978 को की गयी तथा अफगानिस्तान की सरकार गरीब–समर्थक, किसान–समर्थक और समाजवादी विचारधारा वाली थी। इसके सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध थे। सरकार ने पूरे देश में आधुनिकीकरण सुधार शुरु किए जिनका रूढ़िवादी मुस्लिमों ने विरोध किया। सरकार ने इस विरोध को सख्ती से दबाने का प्रयास किया तो दिसम्बर 1979 तक यह विरोध देश

*वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

के अधिकांश भागों तक फैल गया तथा सरकार का नियंत्रण केवल शहरों तक सीमित हो गया। इसी वर्ष अफगानिस्तान में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तब एक गंभीर राजनैतिक संकट उत्पन्न हो गया जब एक कट्टरवादी साम्यवादी गुट के चार सदस्यों ने अफगानिस्तान में अमेरिका के राजदूत अडोल्फ स्पाइक डब्स का अपहरण कर लिया। डब्स को रिहा करने के बदले उन्होंने अपने नेता बदरूद्दीन बाहेस को छोड़ने की मांग की। अफगानिस्तान सरकार का कहना था कि बदरूद्दीन बाहेस उसके कब्जे में नहीं है। अमेरिकी दूतावास द्वारा अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के अनुरोध के बावजूद अफगानिस्तान सरकार ने उनसे बात नहीं की। डब्स को काबुल के एक होटल के कमरा नं. 117 में रखा गया था। अमेरिका ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के लिए अपने राजनयिकों को वहां भेजा। इतने में अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों और सोवियत संघ के सैन्य सलाहकारों ने होटल को चारों ओर से घेर लिया। समझौता–वार्ता असफल रहने पर होटल के कमरा नं. 117 पर धावा बोल दिया गया तथा इस गोलीगारी में डब्स की मृत्यु हो गयी।

अफगानिस्तान सरकार के अनुरोध पर 24 दिसम्बर 1979 को सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजीं। सोवियत सेनाओं ने तख्तापलट करते हुए वहां पर दूसरे समाजवादी नेता बाबरक करमाल को सत्ता सौंप दी। जनवरी 1980 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के 34 देशों के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की तत्काल बिना शर्त वापसी की मांग का प्रस्ताव पास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के खिलाफ 108–18 वोट से एक प्रस्ताव पास किया। सोवियत संघ के अफगानिस्तान में बने रहने से वहां के विद्राहियों को काफी मात्रा में बाहरी सहायता मिलनी शुरु हो गयी। उन्हें पड़ोसी देशों पाकिस्तान एवं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फारस की खाड़ी में स्थित अरब राजतांत्रिक देशों की मदद से सैन्य प्रशिक्षण दिया जाने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया विभाग 'सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए)' ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के दखल को विफल करने के लिए वहां के विद्रोहियों को पाकिस्तान के खुफिया विभाग 'इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के मार्फत मदद पहुंचानी शुरु कर दी। सोवियत संघ ने विद्रोहियों और नागरिकों, दोनों से कठोरता से निपटने के लिए अपनी हवाई शक्ति का इस्तेमाल किया, इससे असंतोष और बढ़ा।

1980 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ग्रेट ब्रिटेन, मिश्र, चीन और कुछ अन्य देशों के सहयोग से अफगान प्रतिरोधक आंदोलन तेज हुआ। अमेरिका ने इसे शीतयुद्ध संघर्ष के तौर पर लिया तथा अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मार्फत सोवियत संघ विरोधी ताकतों को 'ऑपरेशन साइक्लोन' के तहत भरपूर मदद पहुंचाई। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की मौजूदगी के खिलाफ मुस्लिम देशों का समर्थन जुटाने के साथ–साथ जिहाद के लिए वॉलंटियरों को अफगानिस्तान जाने के लिए प्रेरित करने में फिलिस्तीन के मुस्लिम ब्रदरहुड के मौलवी अब्दुल्ला आजम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने मुस्लिम देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। उसने पेशावर, पाकिस्तान के पास वॉलंटियर कैंप और सैन्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। उसने जिहाद के महत्व का खूब प्रचार किया। अपार वित्तीय सहायता के साथ ही मुस्लिम देशों ने अनेक ऐसे लड़ाकों, जिन्हें 'अफगान अरब' के नाम से जाना गया तथा जो नास्तिक कम्युनिस्टों के खिलाफ जेहाद चलाना चाहते थे, को अफगानिस्तान भेजना शुरु कर दिया। इन्हीं में से एक प्रमुख नाम सऊदी युवा ओसामा बिन लादेन था, जिसका अरब ग्रुप अंततः अलकायदा के रूप में विकसित हुआ। अलकायदा पाकिस्तान का ही हथियार है। सऊदी अरब में हथियारबंद क्रांति के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, और जब इसे वहां से खदेड़ा गया तो इसे पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान में पनाह दिलवाई। अलकायदा के विकास में कथित तौर पर अफगानिस्तान के मुजाहिद्दीनों के लिए लाखों डॉलर की अमेरिकी मदद ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

1980 से 1985 के दौरान सोवियत सेनाओं ने रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार हमले किये। धीरे–धीरे इस युद्ध ने एक नयी शक्ल अख्तियार की, शहरों एवं संचार साधनों पर अगर सोवियत सेनाओं का नियंत्रण हुआ तो लगभग 80 प्रतिशत भू–भाग सरकारी एवं सोवियत सेनाओं के नियंत्रण से बाहर हो गया। अफगान मुजाहिदीनों ने छोटे–छोटे समूहों में सोवियत सेनाओं के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया। पाकिस्तान से सटे शहरों में मुजाहिदीनों का सोवियत सेनाओं के साथ लगातार भीषण संघर्ष होता रहा।

गुरिल्ला युद्ध के दौरान मिलिशया गुट के नेता को कमांडर कहा जाने लगा। वहां पर ऐसे कई कमांडर थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे गुलबुद्दीन हिमकतयार एवं अहमद शाह मसूद। इन कमांडरों में कुछ अति महत्वाकांक्षी थे तो कुछ सच्चे राष्ट्र–भक्त। अहमद शाह मसूद एक सच्चा राष्ट्र–भक्त था तथा उसे पंजशीर का शेर भी कहा जाता था क्योंकि सोवियत सेनाएं कभी भी पंजशीर पर कब्जा करने में सफल नहीं हो पायी थीं। इन लड़ाकों ने तोड़–फोड़ की कार्रवाइयों पर बल दिया। उन्होंने नागरिक एवं सैनिक ठिकानों को लक्ष्य बनाया, पुलों को गिराया, प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध किया, बिजली आपूर्ति और औद्योगिक उत्पादन को बाधित किया, काफिलों पर हमला किया तथा पुलिस स्टेशनों, सोवियत सैन्य प्रतिष्ठानों एवं हवाई अड्डों को निशाना बनाया तथा सरकारी अधिकारियों की हत्या की। इस प्रकार के हमलों में सबसे बड़ा हमला था – जून 1982 में कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 1000 युवा सदस्यों, जिन्हें पंजशीर घाटी भेजा जा रहा था, पर काबुल से 30 किलोमीटर दूर ही विद्रोहियों द्वारा जबरदस्त हमला करना। इसमें अनेकों सदस्यों की हत्या कर दी गयी थी।

अफगानिस्तान में हो रहे जान–माल के भारी नुकसान को देखते हुए तथा 1985 में आधुनिकतावादी मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सत्ता संभालने के बाद सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से हटने का निर्णय लिया। नवम्बर 1986 में अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख नजीबुल्ला वहां के राष्ट्रपति चुने गए तथा उन्होंने एक नया संविधान लागू किया तथा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी राष्ट्रीय सहमति की नीति को अपनाया। अफगानिस्तान की कानून–व्यवस्था में सुधार दिखने लगा और जुलाई 1987 में सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान से हटने की घोषणा कर दी। अंततः फरवरी 1989 में सोवियत सेना की आखिरी टुकड़ी भी अफगानिस्तान से अपने वतन लौट गयी।

सोवियत सेनाओं के अफगानिस्तान से लौट जाने के बाद भी वहां युद्ध थमा नहीं और मुजाहिदीनों ने अफगान शहरों पर अपने आक्रमण जारी रखे। हालांकि नजीबुल्ला अगले तीन साल तक अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे, पर एक अफगान विशेषज्ञ के अनुसार 1992 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने राजनैतिक कारणों (क्योंकि वह पुराने कम्युनिस्टों की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करना चाहते थे) से अफगानिस्तान को तेल उत्पादों की आपूर्ति न करने के कारण नजीबुल्ला को मुजाहिदीनों के हाथों हारकर सत्ता से बेदखल होना पड़ा।

अफगानिस्तान के सभी राजनैतिक दलों के बीच पेशावर में एक समझौता हुआ जिसमें सभी दलों ने, सिवाय गुलबुद्दीन हिकमतयार की हिज्ब़–ए–इस्लामी के, अफगानिस्तान में शांति बहाली एवं सत्ता के बंटवारे पर सहमति व्यक्त की। ऐसा माना जाता है कि हिकमतयार को पाकिस्तान का परोक्ष समर्थन प्राप्त था। जून 1992 में बुरहानुद्दीन रब्बानी के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सरकार का गठन किया गया और रक्षा मंत्री का दायित्व संभाला अहमद शाह मसूद ने। अगस्त 1992 से हिकमतयार के मिलिशिया गुट, हिज्ब–ए–इस्लामी ने काबुल पर बमबारी शुरु कर दी। अब्दुल रसीद दोस्तम के मिलिशिया गुट, हिज्ब–ए–वाहदात ने भी दूसरी ओर से काबुल पर नियंत्रण करने हेतु धावा बोल दिया। इस तरह से वहां पर एक और गृह युद्ध छिड़ गया। परंतु अहमद शाह मसूद की सेनाओं ने दोनों मिलिशिया गुटों को परास्त कर काबुल पर पूर्ण अधिकार कर लिया।

पाकिस्तान में रह रहे लगभग तीस लाख शरणार्थियों में से हजारों बच्चों ने उन मदरसों में पढ़ाई की जो अमेरिकी एवं खाड़ी देशों की मदद से चलाये जा रहे थे। मदरसों के ये छात्र (तालिब) अपने परिवारों एवं परंपराओं से दूर होते गए तथा इन्हें रूढ़िवाद एवं धार्मिक कट्टरता के नाम पर मदरसों से घोषित फतवाओं की आज्ञाकारिता का पाढ़ पढ़ाया गया। समय बीतने पर इन छात्रों ने अफगानिस्तान में तालिबान का गठन किया तथा जिहाद के नाम पर हिंसा का रास्ता अपनाया। मुल्ला उमर ने 50 से भी कम मदरसा छात्रों की सहायता से अपने गृहनगर कंधार में तालिबान का गठन किया। धीरे–धीरे पाकिस्तान के मदरसों से लगभग 15,000 छात्र तालिबान में शामिल होने आ गये। कुछ ही महीनों में तालिबान ने कंधार एवं आस–पास के प्रांतों पर कब्जा कर लिया। सोवियत संघ के अफगानिस्तान से हटने के बाद अमेरिका ने वहां पर अपनी भागीदारी को धीरे–धीरे कम कर दिया था। उसने पाकिस्तान और सऊदी अरब में अपने हितों पर ज्यादा ध्यान देना शुरु कर दिया था तथा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में किसी भी तरह की सहायता से इनकार कर दिया था। इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने तालिबान के साथ अपने संबंध

मजबूत करने शुरु कर दिये। धीरे–धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 12 ऐसे प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिन्हें केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में नहीं ले पायी थी।

इस्लामिक स्टेट ने राजधानी में कानून और व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास शुरु किए। राजनैतिक प्रक्रिया शुरु करने के प्रयासों के क्रम में राष्ट्रवादी नेता एवं रक्षामंत्री मसूद ने अफगानिस्तान में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से तालिबान नेताओं को आमंत्रित किया। तालिबान ने किसी भी राजनैतिक प्रक्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। जब पाकिस्तान हिकमतयार के मार्फत अपनी योजना को मूर्त रूप नहीं दे पाया तो 1994 में उसने तालिबान का खुलकर समर्थन करना शुरु कर दिया। पूरे अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए तालिबान ने 1995 के शुरु में काबुल पर बमबारी की। हालांकि, उन्हें सरकारी सेनाओं के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में पाकिस्तान ने तालिबान को और अधिक सैनिक सहायता पहुंचानी शुरु कर दी। पाकिस्तान से मिल रही सैनिक सहायता तथा सऊदी अरब से मिल रही वित्तीय सहायता से तालिबान ने एक बार फिर काबुल पर धावा बोला इसमें सफल रहने पर अंततः 27 सितम्बर 1996 को काबुल में इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना की। तालिबान ने इस्लामिक शरिया कानून को अपने हिसाब से वहां पर लागू किया तथा अफगान नागरिकों, खासकर महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तालिबान ने नरसंहार किए, संयुक्त राष्ट्र की ओर से भेजी गयी खाद्य सामग्री को जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचने दिया, हजारों घरों को तबाह किया और उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर दिया। तालिबान सरकार को केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दी थी। तालिबान को अरब एवं मध्य–एशियाई देशों से लड़ाके अलकायदा मुहैया कराता था जबकि वित्तीय सहायता सऊदी अरब दिया करता था।

दो पुराने प्रतिद्वंद्वियों अहमद शाह मसूद एवं अब्दुल रशीद दोस्तम ने तालिबान के खिलाफ यूनाईटेड फ्रंट (नार्दर्न एलायंस) का मठन किया। हालांकि 1998 में दोस्तम की सेनाएं उत्तरी शहर मजार–ए–शरीफ पर अपना नियंत्रण रखने में विफल रहीं परंतु युनाईटेड फ्रंट तालिबान शासन के दौरान उत्तरी अफगानिस्तान के लगभग 30 प्रतिशत भू–भाग पर अपना नियंत्रण रखने में सफल रहा था। मसूद ने वहां पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्य किए। उन्हें अफगान बुर्का पहनने से भी छूट मिली हुई थी, उन्हें काम पर जाने की कोई मनाही नहीं थी तथा लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाता था।

तालिबान शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से अहमद शाह मसूद ने अफगानिस्तान के अनेक क्षेत्रीय नेताओं के साथ वर्ष 2001 के शुरु में ब्रूसेल्स में यूरोपीय यूनियन की संसद को संबोधित किया तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने की अपील की। मसूद ने कहा कि तालिबान और अलकायदा ने इस्लाम की बहुत ही गलत धारणा को अपनाया है तथा पाकिस्तान और अलकायदा के समर्थन के बिना तालिबान अपनी सैनिक कार्रवाई को जारी नहीं रख सकता है। मसूद ने आगे यह भी कहा था कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि निकट भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका की धरती में एक बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है।

यह अजब संयोग ही था कि 09 सितम्बर 2001 को दो अरबी नागरिकों ने पत्रकार के भेष में मिलते हुए एक आत्मघाती आक्रमण में मसूद को निशाना बनाया। बुरी तरह से घायल मसूद ने हेलीकॉप्टर में दम तोड़ दिया। और इसके दो दिन बाद ही, 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें लगभग 3000 व्यक्ति मारे गये। इस हमले के लिए अमेरिका ने अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख एवं सऊदी अरब की संलिप्तता भी सामने आई। परंतु किन्हीं अज्ञात कारणों से अमेरिका ने आईएसआई के प्रमुख पर कोई कार्रवाई नहीं की तथा सऊदी अरब की भूमिका का पता लगाने हेतु गठित जाँच समिति अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि, तालिबानी सरकार एवं अलकायदा को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने तुरंत ही अफगानिस्तान पर हमला कर दिया।

11 सितम्बर 2001 के हमले के बाद पाकिस्तान ने तालिबान को किसी भी तरह की मदद न देने का दावा किया था। किंतु नवंबर 2001 में जब तालिबान–विरोधी ताकतों ने अफगानिस्तान में विजय पाई तो तालिबान एवं अलकायदा के लड़ाकों तथा अफगानिस्तान में

फंसे आईएसआई के सदस्यों को अफगानिस्तान के कुंदुज शहर से पाकिस्तानी सेना के कार्गो विमान द्वारा ही निकालकर पाकिस्तान वायु सेना के चित्राल एवं गिलगित स्टेशनों में पहुंचाया गया। अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन ने भी शुरु में इस मामले में अपने संगठन की भूमिका से इनकार किया। परंतु 2004 में लादेन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और इसके लिए ये कारण गिनाएः इजरायल को अमेरिका का समर्थन, सऊदी अरब में अमेरिकी सेना की मौजूदगी एवं इराक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। पाकिस्तान एवं तालिबान की सहायता से लादेन लगभग एक दशक तक गिरफ्तारी से बचता रहा परंतु अंततः मई 2011 में अमेरिका ने उसे पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया।

अमेरिका द्वारा मानवाधिकर हनन का मुद्दा उठाते हुए 2003 में इराक पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अपदस्थ करना और 2011 में लीबिया में कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के विरोधियों को समर्थन देने से भी आंतक के रक्तबीज बढ़ते गये। माना कि इन दोनों तानाशाहों के राज में इराक तथा लीबिया में हजारों लोग मर रहे थे, परंतु वहां के हालात आज पहले से भी बदतर हो गए हैं और आतंकी घटनाओं में वहां आज भी हजारों लोग मारे जा रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 11 अप्रैल 2016 को कहा, 'गद्दाफी के बाद के लीबिया की स्थिति का सही अनुमान न लगा पाना मेरे राष्ट्रपति–कार्यकाल की सबसे बड़ी भूल है।'

इस प्रकार, वैश्विक आंतकवाद के फलने–फूलने के प्रमुख कारणों में इन्हें शामिल किया जा सकता हैंः (क) सोवियत संघ की सेना के अफगानिस्तान से पीछे हटने से पाकिस्तान और उसके द्वारा पोषित जेहादी यह संदेश प्रसारित करने में सफल रहे कि जेहाद के हथियार के बूते किसी को भी प्रभावित किया जा सकता है। इसमें यह बताया जाता है कि 'इस्लाम खतरे में है', तथा दुनिया भर में जहां–जहां मुसलमान हैं, और अगर वे किसी अन्य सियासी ताकत के अधीन हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पर आजाद कराना है, यही सच्चा जेहाद है। (ख) अफगान संकट के दौरान एवं सोवियत सेनाओं के वहां से हटने के बाद अमेरिका द्वारा राष्ट्रवादी एवं महत्वाकांक्षी नेताओं में फर्क न कर पाना। अगर अमेरिका ने अहमद शाह मसूद का समर्थन किया होता तो संभवतः वहां पर स्थायी शांति बहाल की जा सकती थी तथा तालिबान एवं अलकायदा रूपी आतंक के रक्तबीज को काफी हद तक उसके बाल्यकाल में ही काबू कर लिया गया होता। (ग) अमेरिका द्वारा आंख मूंदकर पाकिस्तान का समर्थन करना। आतंकियों का पोषण करते–करते कई बार आंतकी घटनाओं में पाकिस्तान के हाथ भी जले हैं, मगर तब भी इनका पोषण करने से वह बाज नहीं आ रहा है। असल में उसका यह मानना है कि इन्हीं गुटों के सहारे वह देश–दुनिया में एक खास मुकाम हासिल कर सकता है। पहले वह इन गुटों को पनाह, प्रशिक्षण एवं हर सहायता मुहैया कराता है और फिर उन्हीं को थामने के नाम पर दुनिया भर से इमदाद बटोरता है। (घ) पश्चिमी देशों द्वारा आतंकी घटनाओं को समान नजरिए से न देखना। वे मानते थे कि अफ्रीका और एशिया के कुछ उजड्ड देश अगर आतंकवाद का शिकार हैं, तो बने रहें। ईश्वर ने उन्हें इतना जाहिल बनाया है कि विकसित दुनिया के साथ कदमताल करने की न उनको समझ है और न हक। इसीलिए आतंक और अलगाववादी धड़ों को वे हथियार बेचते थे, उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रेरित करते थे। ऐसा करते वक्त वे नहीं जानते थे कि वे ऐसे रक्तबीज पैदा कर कर रहे हैं, जो आज नहीं तो कल, उन्हीं को खाक करेंगे। (ङ) दुनिया की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनियों (सबसे अधिक कंपनियां अमेरिका में हैं) द्वारा हथियारों की अनाप–शनाप बिक्री। इनके क्रय–विक्रय के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बनाने की जरूरत है ताकि किसी भी देश के आंतकियों को इनकी बिक्री न की जा सके। (च) लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिका द्वारा बार–बार मुस्लिम देशों में सरकार–विरोधी ताकतों का समर्थन करना। इससे जेहादी न केवल गरीब मुसलमानों का, अपितु अब तो उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमानों का भी ब्रेन–वॉश करने में सफल हो जाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह पता चला है कि 2015 में विश्व भर में 452 बड़ी आतंकी घटनाएं हुईं और इनमें से 450 घटनाओं के पीछे मुस्लिम चरमपंथियों का हाथ था।

अलकायदा 1992 से 1996 तक सूडान में सक्रिय रहा। यहां पर रहते हुए उसने सूडान, इरीट्रिया और सोमालिया के गृहयुद्धों में विद्रोहियों का समर्थन किया। 1996 में लादेन ने पुनः अलकायदा का मुख्यालय अफगानिस्तान में बनाया। अलकायदा को तालिबान का पूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ। 1999 में इंडियन एअरलाइंस के विमान के अपहरण कांड का मास्टरमाइंड जैश–ए–मोहम्मद का

मौलाना मसूद अजहर लादेन से कई बार मिला तथा उसे अलकायदा से भरपूर मदद मिलती थी। अपहरणकर्ताओं द्वारा इस विमान को तालिबान शासित अफगानिस्तान के कंधार शहर ले जाने का एकमात्र कारण यह था कि इससे सुरक्षित जगह उन्हें और कहीं नहीं मिलने वाली थी। विमान को छुड़ाने के बदले भारत सरकार को मौलाना मसूद अजहर सहित तीन खूंखार आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। आज भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, लीबिया, नाईजीरिया, सोमालिया, फ्रांस, बेल्जियम, तुर्की सहित विश्व के अन्य अनेकों देशों में अलकायदा के विभिन्न गुट या उसके सहयोगी ही आतंकी घटनाओं में पाए गए हैं। सबसे बर्बर आंतकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के लड़ाके भी कहीं न कहीं अलकायदा से ही जुड़े हैं। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में सरकारी सेनाओं को सरकार–विरोधी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज, अरब विद्रोही समूह (जिसमें अल–नूसरा फ्रंट भी शामिल है) तथा आईएस से एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इन सभी पक्षों को विदेशी ताकतों से समर्थन मिल रहा है। सरकारी सेनाओं को रूस, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज को अमेरिका सहित सभी प्रमुख नाटो देशों तथा अरब विद्रोही समूह को सऊदी अरब का समर्थन मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा अपने–अपने हितों को प्राथमिकता देने के कारण वे आईएस के खिलाफ सीरिया में एकजुट नहीं हो पाए हैं और इसका गंभीर परिणाम यह हुआ है कि आज भी लगभग 30 प्रतिशत सीरियाई भू–भाग पर आईएस का पूर्ण कब्जा है और यह अपनी गतिविधियों को बदस्तूर जारी रखने के साथ ही दुनिया के अन्य देशों में अपने पैर फैला रहा है।

आतंक का यह पसरता पांव तभी थम सकता है जब इसके स्रोत पर हमले किए जाएं। पहला स्रोत वह सोच है, जो आतंकवाद का पोषण करती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दुनियाभर में आतंकवाद की बुनियाद अलग–अलग राष्ट्रों के समर्थन से पड़ी है। दुनिया के सभी सभ्य देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को 'अच्छे' और 'बुरे' (जैसेकि अमेरिका ने एक बार तालिबान को अच्छे और बुरे तालिबान में बांटने का प्रयास किया था) में नहीं बांटा जा सकता। अगर ओसामा बिन लादेन को संप्रुभता का अतिक्रमण करते हुए मारा जा सकता है तो फिर दूसरे आतंकियों के साथ यह नीति क्यों नहीं अपनाई जा सकती? आतंकवादी विचारधारा के प्रसार पर लगाम लगानी होगी, आतंकवाद को अलग–अलग रूपों में बांटने की बजाय उसके प्रति एक ही नजरिया अपनाना होगा और फिर सभी देशों को उसके खिलाफ सामूहिक लड़ाई छेड़नी होगी। रही बात पाकिस्तान जैसे देशों की तो इस तरह के मुल्क विदेशी इमदाद पर टिके होते हैं। अगर उनकी रीढ़ पर वार किए जाएं तो वे आंतक का पोषण बंद कर देंगे। और इस प्रकार विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुद्दतों के बाद

(सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समर्पित)

डॉ. शशि तोमर*

मुद्दतों के बाद जाऊँगा प्यारे घर से।
अपनी मुश्किल ना बताऊँगा, चला जाऊँगा।।

सोचकर पुरानी बातें और इतनी यादें।
खुद को जी भरके रूलाऊँगा, चला जाऊँगा।।

गुजरे हालातों से कुछ नहीं लेना मुझको।
बस तुझे देखूँगा, चला जाऊँगा।।

बहुत सी यादें मुझे प्यारी हैं तेरी।
उनको सीने से लगाऊँगा, चला जाऊँगा।।

अपनी दहलीज पर पड़ा रहने दे कुछ पल।
अश्क आँखों में छिपाऊँगा, चल जाऊँगा।।

* रिसर्च एसोसिएट, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

महिला सशक्तिकरण

ज्योति गुप्ता*

तोड़कर सारे बंधनों को, आज उन्मुक्त हो जाऊँ मैं।
फैलाकर अपने पंखों को, नीले गगन में उड़ जाऊँ मैं।
है कठिन बहुत ये राह प्रभु पर, चट्टानों से न डर जाऊँ मैं।
कर लिया है हौसला बुलंद, अब ना फिर कभी घबराऊँ मैं।

छोड़कर श्रमिक जीवन मैंने, गाथा ये रच डाली है।
हर औरत हो पूर्ण आत्मनिर्भर इस बात की कूच कर डाली है।
अब ना होंगी बेड़ियाँ पाँवों में, ना करनी अब आजमाइश है।
हम भारत की नारी हैं, ये धरोहर हमने पुरखों से पाई है।

भूल गई है जनता रानी झांसी के बलिदान को।
और भूल गई है मदर टेरेसा के संपूर्ण प्यार को।
आज फिर से महिला सशक्तिकरण पर लोगों को समझाना है।
औरत है रूप शक्ति का इस बात को ईश्वर ने भी माना है।

* रिसर्च एसोसिएट, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का परिणाम

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्त्वावधान में सोमवार, 21 दिसम्बर 2015 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित तीन विषय रखे गए थे।

1. आरक्षणः कितना उचित, कितना अनुचित 2. मीडिया का प्रभाव 3. संपर्क भाषा और राष्ट्रीय एकता

इस प्रतियोगिता में नराकास, नौएडा के 26 सदस्य कार्यालयों से 50 प्रतियोगियों ने भाग लिया तथा विजयी प्रतियोगियों के नाम इस प्रकार हैं:

Øe l-	çfr;kxh dk uke	dk;ky;	iqjLdkj
1.	डॉ. विजय रावत	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	प्रथम
2.	श्रीमती योगिता	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि., पाइपलाइंस डिविजन	द्वितीय
3.	सुश्री पुष्पा रानी	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया	तृतीय
4.	डॉ. सुभाष कौशिक	केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान	प्रोत्साहन
5.	श्रीमी गीता भदौरिया	दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय	प्रोत्साहन
6.	सुश्री छवि यादव	फुटवियर डिजाइन एंड डेव्लपमेंट इंस्टीट्यूट	प्रोत्साहन
7.	श्री जितेंद्र कुमार यादव	पीडीआईएल	प्रोत्साहन
8.	श्री संजय मिश्रा	दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय	सांत्वना

सभी सफल प्रतियोगियों को 11.02.2016 को राष्ट्रीय जैविक संस्थान, सैक्टर–62, नौएडा में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) नौएडा की 31वीं बैठक में नराकास के अध्यक्ष महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया।

बेटियां

मोनिका गुप्ता*

पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और शिक्षित हो रहीं
इक नया संसार रचना चाहतीं हैं अब बेटियां।
हो चुका है बहुत, अत्याचार उन पर आज तक
इक नया व्यक्तित्व गढ़ना चाहतीं हैं अब बेटियां।
भेद अब अच्छा नहीं है, बेटे–बेटी में यहां
भार बेटों सा, उठाना चाहतीं हैं अब बेटियां।
मत कहो उनको पराई, अब न ही अबला कहो
शक्ति का पर्याय बनना चाहतीं हैं अब बेटियां।
उन की प्रतिभा का लोहा समूचा जगत माने
काम ऐसे कर दिखाना चाहतीं हैं अब बेटियां।
सिर्फ इंसा की तरह, जीने का हक दे दीजिए
जिदंगी हँस कर बिताना चाहतीं हैं अब बेटियां।
शायद पल भर में ही सयानी हो जाती हैं बेटियां
घर के अंदर से दहलीज तक कब आ जाती हैं बेटियां
हर घर की तकदीर, इक सुदंर तस्वीर होती हैं बेटियां
हृदय में लिये उफान, कई प्रश्न, अनजाने घर चल देती हैं बेटियां
पर अफसोस क्यों सदैव हम संग रहती नहीं हैं ये बेटियां
एक नया संसार रचना चाहती हैं अब बेटियां।।

** स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड I, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

जीवन संध्या

कुसुम उपाध्याय*

जीवन संध्या होने आई
जाने कब जीवन बीत गया
जीवन संध्या...

जीवन पथ दुर्गम है मेरा
पांव भी मेरे घायल हैं
कश्ती डूब रही है मेरी
दूर अभी तक साहिल है
जब जागी जीवन अभिलाषा
जीवन बीत गया
जीवन संध्या होने आई।

जीवन मरूभूमि सा मेरा
तपती रेत आस मेरी
सब अभिलाषाएं सुप्त हो गईं
बस जगती रही सांस मेरी
जब तक खुशियों ने ली करवट
जीवन बीत गया
जीवन संध्या होने आई
जाने कब जीवन बीत गया।

** वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान परिसर, नौएडा*

कहानी

भोलाराम का जीव

lj dkjh dk;kZy;ksa esa O;kIr Hkz’Vkpkj] ykyQhrk'kkgh vkSj flQkfj'k dk tks vkye gS] mls O;aX;&fouksn ds lgkjs bl dgkuh esa gfj'kadj ijlkbZ th }kjk cgqr gh vPNs <ax ls vfHkO;Dr fd;k x;k gSA

ऐसा कभी नहीं हुआ था.........

धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास–स्थान 'अलाट' करते आ रहे थे–पर ऐसा कभी नहीं हुआ था।

सामने बैठे चित्रगुप्त बार–बार चश्मा पोंछ, बार–बार थूक से पन्ने पलट, रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खीझ कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गयी। उसे निकालते हुए वह बोले, 'महाराज, रिकार्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने पाँच दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा।'

धर्मराज ने पूछा, 'अरे वह दूत कहाँ है?'

'महाराज, वह भी लापता है।'

इसी समय द्वारा खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास–सा वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, 'अरे, तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है?'

यमदूत हाथ जोड़कर बोला, 'दयानिधान, मैं कैसे बतलाऊँ कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। पाँच दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु–तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन पाँच दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला।'

धर्मराज क्रोध से बोले, 'मूर्ख, जीवों को लाते–लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया।'

दूत ने सिर झुकाकर कहा, 'महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे–अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया।'

चित्रगुप्त ने कहा, 'महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले ही उड़ा देते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे–अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे–डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है। राजनैतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया?'

धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, 'तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गयी। भला भोलाराम जैसे नगण्य, दीन आदमी से किसी को क्या लेना–देना?'

इसी समय कहीं से घूमते–फिरते नारद मुनि वहाँ आ गये। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, 'क्यों, धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नर्क में निवास–स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई?'

धर्मराज ने कहा, 'वहाँ की समस्या तो कभी की हल हो गयी, मुनिवर! नर्क में पिछले सालों में बड़े कारीगर आ गये हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनायीं। बड़े–बड़े इंजीनियर भी आ गये हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं, जिन्होंने उन मजूदरों की हाजरी भरकर पैसा हड़पा, जो कभी काम पर गये ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गयी। भोलाराम नाम के एक आदमी की पाँच दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था, कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा, तो पाप–पुण्य का भेद ही मिट जाएगा।'

नारद ने पूछा, 'उस पर इन्कम–टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है, उन लोगों ने रोक लिया हो।'

चित्रगुप्त ने कहा, 'इन्कम होती तो टैक्स होता....भुखमरा था।'

नारद बोले, 'मामला दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम–पता तो बतलाओ। मैं पृथ्वी पर जाता हूँ।'

चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, 'भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मुहल्ले में नाले के किनारे एक डेढ़ कमरे के टूटे–फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, दो लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग साठ साल। सरकारी नौकर था, पाँच साल पहले रिटायर हो गया था। मकान को किराया उसने एक साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान–मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज पाँचवाँ दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान–मालिक, वास्तविक मकान–मालिक है, तो उसने भोलाराम के मरते ही, उसके परिवार को निकाल दिया हो। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा।'

माँ–बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गये।

द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगायी, 'नारायण...नारायण।' लड़की ने देखकर कहा, 'आगे जाओ, महाराज।'

नारद ने कहा, 'मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को ज़रा बाहर भेजो, बेटी।'

भोलाराम की पत्नी बाहर आयी। नारद ने कहा, 'माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी?'

'क्या बताऊँ? गरीबी की बीमारी थी। पाँच साल हो गये, पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर दस–पंद्रह दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था और आता, तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन पाँच सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गये। फिर बर्तन बिके। अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते–घुलते और भूखे मरते–मरते उन्होंने दम तोड़ दिया।'

नारद ने कहा, 'क्या करोगी, माँ?...उनकी इतनी ही उम्र थी।'

'ऐसा तो मत कहो, महाराज! उम्र तो बहुत थी। पचास–साठ रुपया पेंशन मिलती, तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता। पर क्या करें? पाँच साल नौकरी से बैठे हो गये और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली।'

दुख की कथा सुनने की फुरसत नारद को थी नहीं। वह अपने मुद्दे पर आये, 'माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था, जिसमें उनका जी लगा हो?'

पत्नी बोली, 'लगाव तो महाराज, बाल–बच्चों से ही होता है।'

'नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है, किसी स्त्री.........'

स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा। बोली, 'बको मत, महाराज। तुम साधु हो, कोई लुच्चे–लफंगे नहीं हो। जिंदगी–भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आँख उठाकर भी नहीं देखा।'

नारद हँसकर बोले, 'हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा, माता, मैं चला।'

स्त्री ने कहा, 'महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं। कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाये। इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा।'

नारद को दया आ गयी थी। वह कहने लगे, 'साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं। फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाकर कोशिश करूँगा।'

वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें कीं। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, 'भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजीं थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गयी होंगी।'

नारद ने कहा, 'भई, ये बहुत से पेपरवेट तो रखे हैं। इन्हें क्यों नहीं रख दिया?'

बाबू हँसा, 'आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपरवेट से नहीं दबतीं.......खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए।'

नारद उस बाबू के पास गये। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पाँचवे के पास। जब नारद पच्चीस–तीस बाबुओं और अफसरों के पास घूम आये, तब एक चपरासी ने कहा, 'महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गये। अगर आप साल–भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें, तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए। उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा।'

नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख, साहब बड़े नाराज हुए। बोले, 'इसे कोई मंदिर–वंदिर समझ लिया है क्या? घड़घड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी?'

नारद ने कहा, 'कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है।'

'क्या काम है?' साहब ने रौब से पूछा।

नारद ने भोलाराम का पेंशन–केस बतलाया।

साहब बोले, 'आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति–रिवाज़ नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भई, यह भी एक मंदिर है। यहाँ भी दान–पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिये।'

नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गयी। साहब बोले, 'भई, सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस बीसों दफ्तरों में जाता है। देर लग ही जाती है। बीसों बार एक ही बात को बीस जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर.........' साहब रुके।

नारद ने कहा, 'मगर क्या?'

साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, 'मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना–बजाना सीखती है। यह मैं उसे दे दूँगा। साधुओं की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी सीख गयी, तो उसकी शादी हो जाएगी।'

नारद अपनी वीणा छिनते देखकर जरा घबराए, पर फिर सँभलकर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, 'यह लीजिए। अब ज़रा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए।'

साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजायी। चपरासी हाजिर हुआ।

साहब ने हुक्म दिया, 'बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ।'

थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की सौ–डेढ़ सौ दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, 'क्या नाम बताया, साधु जी, आपने?'

नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊँचा सुनता है। इसलिए जोर से बोले, 'भोलाराम'।

सहसा फाइल में से आवाज आयी, 'कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया।'

साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गये। नारद भी चौंके। पर दूसरे ही क्षण बात समझ गये, बोले, 'भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो?'

'हाँ', आवाज आयी।

नारद ने कहा, 'मैं नारद हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है।'

आवाज आयी, 'मुझे नहीं जाना। मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ। यहीं मेरा मन लगा है। मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता।'

देवभूमि उत्तराखंड

दिगम्बर सिंह बिष्ट*

हम उस माटी के बने हैं, जहां अनेकों देवता रहते हैं।
इसलिए मेरी मातृभूमि को, सब देवभूमि भी कहते हैं।1।

गंगा यमुना निकलती जहां से, माथे जिसका हिमालय हो।
नमन है ऐसी मातृभूमि को, जहां केदार सा शिवालय हो।2।

जहां ढोल, दमाऊ और हुड़का, आज भी बजाये जाते हैं।
तीलू रौतेली, मालूशाही के गीत, आज भी गाये जाते हैं।3।

जहां पर्वतों की चोटी पर, देवता आज भी बिठाए जाते हैं।
जहां भट्ट की चुड़काणी, दाल गैहत की चाव से खाते हैं।4।

अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सभी को आज भी खूब भाती है।
अरु पहाड़ियों के मृदु स्वभाव की, यह नित याद दिलाती है।5।

जहां घर–घर में तुलसी गाय को, आज भी पूजा जाता है।
यह है मेरा उत्तराखंड जो, दुनिया में हर किसी को भाता है।6।

* *अकाउंट एसोसिएट, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

अबकी बार, घर का सपना होगा साकार

राजेश कुमार कर्ण*

रोटी और कपड़ा की तरह मकान लोगों की एक मौलिक जरूरत है। किंतु भारत में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सभी को समुचित आवास उपलब्ध नहीं है। रोजगार की तलाश में लोगों के शहरों की ओर पलायन के कारण शहरों में मकान की मांग दिनानुदिन बढ़ रही है लेकिन इसकी आपूर्ति अपेक्षाकृत कम है, जो आपूर्ति है उसका अधिकांश हिस्सा कालेधन के मालिकों के हाथों में है। मकानों की कालाबाजारी के कारण इनकी कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ईमानदारी से कमाई करने वालों के लिए अपना घर सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। भारत में आवास सेक्टर का विकास अनियंत्रित और अराजक ढ़ंग से हुआ है। पहले सरकारों ने विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् जैसी संस्थाएं बनाकर आवास की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश की जो नाकाफी साबित हुई। यहीं से 'बिल्डर' का जन्म हुआ। बिल्डर अथॉरिटी, बैंक, नेता और पुलिस से सांठगांठ करके नियमों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं फलस्वरूप लाखों खरीदार फ्लैट का पूरा पैसा चुकाने के बाद भी अपने घर का सपना साकार करने के सौभाग्य से वंचित हैं। लोग सैंकड़ों धोखे खाकर भी अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं किंतु उनके आंखों से सपने छीने जा रहे हैं। शहरों में बेतहाशा आबादी बढ़ने के कारण उनकी रिहायशी जरूरतें पूरी करने के लिए फ्लैटों का निर्माण आवश्यक है लेकिन इसके लिए सख्त एवं पारदर्शी कानून बनाए जाने चाहिए थे किंतु पूर्ववर्ती सरकारों ने इतनी बड़ी समस्या की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया। अब केन्द्र सरकार ने रियल एस्टेट (रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 बनाकर इस सपने को हकीकत में बदलने की एक सार्थक पहल की है।

मकान बेचने के लिए बिल्डर प्रायः क्रिकेट एवं फिल्मी हस्तियों को लेकर आकर्षक विज्ञापन निकालते, लुभावने वायदे करते और सैंपल फ्लैट तैयार करते जिसे देखते ही लोगों की आंखों में हसरतों का सुरूर उमड़ पड़ता है। वे बिल्डर के झांसे में आ जाते हैं। वे नहीं समझ पाते कि ये हाथी के दिखाने के दांत हैं। वायदा कुछ किया जाता, दिया कुछ और। पार्क, स्वीमिंग पूल, क्लब, लिफ्ट, फायर फाइटिंग, बिजली बैकअप, पार्किंग, सीवर, बिजली पैनल बॉक्स आदि सुविधाओं और सुरक्षाओं के पूरे इंतजाम का अभाव रहता है। साफ–सफाई और रख–रखाव बेहद खराब रहता है। बिल्डर–बायर एग्रीमेंट एकतरफा होता है, शर्तों को तय करने में खरीदार की कोई भूमिका नहीं होती है। खरीदार यदि पैसे देने में देरी करे तो 18–24% वार्षिक ब्याज और बिल्डर पजेशन में देरी करे तो मात्र 4–5% वार्षिक ब्याज देने का उल्लेख इसमें होता है। एग्रीमेंट के अनेक प्रावधानों को खरीदार को बिना बताए बिल्डर अपनी सुविधानुसार बदल देता है। कभी बिना नक्शा पास कराए भवन खड़ा कर दिया जाता है तो कभी बिना अनुमति के नई मंजिलें बना दी जाती है, तो कहीं जमीन की वैधानिकता को अनदेखा कर दिया जाता है। निर्माण सामग्री में धांधली तो आम बात है। बढ़े हुए FAR का फायदा उठाते हुए बिल्डर उस जमीन पर मकानों की संख्या तो बढ़ा देता है किंतु मकान की कीमत कम नहीं करता जिससे खरीदार इसके फायदे से वंचित रहते हैं। बहुत से बिल्डर बिना कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के खरीदारों को पजेशन दे देता है और इस प्रकार खरीदार इल्लीगल ऑक्यूपेंट बनकर ही अपने मकान में रहते हैं। बहुत से खरीदारों को पजेशन के बाद मकान की रजिस्ट्री नहीं हो पाती है क्योंकि बिल्डर ने विकास प्राधिकरण का बकाया नहीं चुकाया होता है। अधिकांश बिल्डर एक गिरोह बनाकर मकान के नाम पर लोगों को निश्चिंत भाव से ठगते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारी प्रायः उनके पार्टनर होते हैं। बिल्डरों के पास अधिकारियों को खुश करने के लिए तमाम सुविधा होती है। उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त रहता है, परिणामस्वरूप वे घोर अनुचित कार्य करते हुए भी डरते नहीं हैं। प्रशासन को गौर करना चाहिए कि बेखौफ एवं दबंग बिल्डरों ने पूरे देश में किस तरह अराजक व्यवसाय फैला रखा है। उनके लिए कायदा–कानून कतई मायने नहीं रखता।

*स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

खेती के बाद आवास सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है जहां सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। लोग प्रति वर्ष लगभग 10 लाख मकान के लिए लगभग 13 लाख 800 करोड़ रूपये (जो कुल निवेश का 50% है) निवेश करके कुल जीडीपी का 9% योगदान करते हैं। इस सेक्टर में लगभग 76000 कंपनियां काम कर रही हैं लेकिन इसके बाद भी अधिकांश प्रोजेक्ट कई वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं और वे पूरे होंगे या नहीं, कोई कह नहीं सकता। इसकी दोहरी मार खरीदार पर पड़ रही है। उसे मकान के वास्ते लिए गए लोन की ईएमआई के साथ–साथ वह जिस घर में रहता है उसका किराया भी देना पड़ रहा है फलस्वरूप उसे अपनी अन्य जिम्मेदारी का निर्वाह करने में काफी परेशानी हो रही है। बिल्डर खरीदार से किसानों को बढ़ा हुआ 64.7% अतिरिक्त मुआवजा देने, बिजली और मेंटीनेंस के नाम पर मनमाने चार्ज वसूलता है। खरीदार लाचार होकर कभी बिल्डर, तो कभी पुलिस, तो कभी कोर्ट तो कभी मीडिया के पास जाता है, मगर उसे राहत कहीं से भी नहीं मिलता है। बिल्डर और पुलिस उसकी सुनती नहीं है और कोर्ट में पहले से ही केसों का अंबार लगा हुआ है। प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी उनकी इतनी बड़ी समस्या के हिसाब से पर्याप्त कवरेज नहीं दिया जाता क्योंकि बिल्डर से कुछ मीडिया मालिकों को बिजनेस के रूप में विज्ञापन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है तो कभी–कभार कुछ फ्लैट्स कॉर्पोरेट रिबेट के साथ उन्हें बेचे जाते हैं।

इन सबसे हारकर अंततः बिल्डर के खिलाफ खरीदार अपने परिवार के बच्चे, बूढ़े, महिला सदस्यों के साथ मिलकर, एकजुट होकर धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने नेफोवा, नेफोमा, फेडरेशंस ऑफ अर्पाटमेंट ओनर्स एसोशिएशन, त्रिवेणी फरीदाबाद अलॉटीज एसोशिएशन आदि अनेक संगठन भी बना लिए हैं और वे अपने स्तर पर एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। नए–नए किस्म के स्लोगन निकल रहे हैं– 'आम्रपाली इतनी देर लगाए कि दादा मकान बुक कराए और पोता पजेशन पाए'; 'रोटी कपड़ा और लाइज'; 'बन्द करो लेन देन का खेल, बिल्डरों पर कसो नकेल। पहले घर का सपना दिखाते, फिर ये सबको हैं रुलाते।।'; झूठे वादों का सरदार, मेरा बिल्डर है बेकार। बायर्स अब नहीं लाचार, नहीं सहेंगे अत्याचार।।'; 'वर्ल्ड क्लास सिटी – नो इलेक्ट्रिसिटी।'

खरीदारों की उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए मोदी सरकार ने खरीदारों के हितों की रक्षा करने एवं बिल्डरों की जवाबदेही तय करने के लिए 1 मई 2016 से रियल एस्टेट (रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 लागू कर दिया है। इस कानून से आवास क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी, सभी की जवाबदेही बढ़ेगी और सभी स्टेकहोल्डर्स को फायदा होगा। इस एक्ट के अंतर्गत जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक केन्द्र एवं सभी राज्यों को अधिकतम 6 महीने के भीतर यानी 31 अक्तूबर 2016 से पहले नियम बनाने होंगे। केन्द्र सरकार ने मॉडल नियम बनाने का काम शुरू कर दिया है और अगले महीने तक वह इसे सभी राज्यों को नियम बनाकर भेज देगी ताकि राज्यों को न ज्यादा परेशानी हो और न देरी। केंद्र सरकार के कानून को मॉडल मानते हुए राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से थोड़ा फेरबदल करते हुए अपने कानून बनाएंगे। एक साल के भीतर यानी 30 अप्रैल, 2017 तक सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और केन्द्र में एक अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन होगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत बिल्डर एवं एजेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रोपर्टी बेची नहीं जा सकेगी। खरीदार को अधिकार–संपन्न बनाने के लिए बिल्डर को अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराते समय प्रोजेक्ट से संबंधित प्रमोटर, प्रोजेक्ट प्लान्स, इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल, लैंड शेड्यूल, लैंड स्टेटस, ले आउट, ले आउट प्लान, अप्रूवल स्टेटस, एग्रीमेंट, रियल एस्टेट एजेंट्स के विवरण रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेबसाईट पर डालने होंगे। पारदर्शी प्रोजेक्ट होने से खरीदारों के पास पूरी जानकारी होगी और विकल्प होंगे। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। अब दो–तिहाई खरीदारों की अनुमति के बिना प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। बिल्डर को खरीदारों से लिए गए कुल रकम में से 70% रकम को बैंक में एक अलग खाते में रखना होगा ताकि प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कवर हो सके। इस फंड को सिर्फ उस निर्माण विशेष या जमीन की कीमत के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। फंड को कहीं और डायवर्ट करने से जो मकान के पजेशन में देरी होती है और इससे कीमत में जो बढ़ोतरी होने के साथ–साथ विभिन्न हानि होती है, इस पर रोक लगेगी। खरीदार को भी भरोसा होगा कि उनके द्वारा दिया गया रकम उसी प्रोजेक्ट में लगेगा। यह एक्ट उन सभी रिहायशी और कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर लागू होगा जो 500 वर्गमीटर या उससे ज्यादा आकार के होंगे।

बिल्डर को तय समय पर मकान का पजेशन देना होगा। विज्ञापन, प्रोस्पेक्ट्स अब मुख्य दस्तावेज माना जाएगा। बिल्डर अब मनमाने तरीके से खरीदारों पर नई–नई शर्तें नहीं थोप सकेंगे। वे बीच में निर्माण सामग्री महंगी होने का हवाला देकर फ्लैट की कीमत नहीं बढ़ा सकेंगे। अगर बिल्डर शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे प्रोजेक्ट कीमत की 10% पेनल्टी देनी होगी और एक से तीन साल तक लगातार उल्लंघन करने पर बिल्डर को 3 साल तक जेल की सजा होगी। इससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर रोक लगेगी। अब कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट की बिक्री होगी। एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा जिससे एकतरफा समझौतों पर रोक लगेगी। मकान कब्जा देने में जो देरी होगी, उस पर उतना ही ब्याज देना देना होगा जितना खरीदार के भुगतान में देरी पर लगता है। यह खरीदार को बहुत बड़ी राहत है। रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने के बाद खरीदार यदि बिल्डर के काम से संतुष्ट नहीं है तो वह इसकी शिकायत वहां कर सकता है। इस एक्ट में बिल्डर के हक में भी प्रावधान है कि खरीदार ने समय पर भुगतान नहीं किया तो खरीदार पर भी जुर्माना लगेगा। विकास प्राधिकरण से लिया गया प्लॉट भी लिटिगेशन फ्री नहीं है, इसलिए भी बिल्डर समय पर पजेशन नहीं दे पाता। अगर बिल्डर को किसी एजेंसी से शिकायत है या उसे लगता है कि उसके प्रोजेक्ट की राह में बाधा डाली जा रही है, तो वह भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से न्याय मांग सकता है। खरीदार की तरफ से की गई गड़बड़ी के मामले में भी बिल्डर के पास रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाने का हक होगा। खरीदार एवं बिल्डर की शिकायतें 60 दिन के भीतर हल की जाएंगी।

यह कानून 30 अप्रैल 2017 से पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। निश्चित रूप से इससे व्यवस्था में आमूलचूल सुधार होगा किंतु यह पूर्ण समाधान नहीं है। यह एक शुरूआत है और इसके लागू होने के बाद ही कुछ कमियों का पता चल सकेगा और उसी के अनुरूप इस एक्ट में संशोधन होगा। यह एक बेहतर कानून है जिसको लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं किंतु कुछ आशंकाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी अपार्टमेंट एक्ट पहले से लागू है और उसमें अच्छे प्रावधान हैं, शर्तों के उल्लंघन पर बिल्डर के लिए 6 साल जेल की सजा है किंतु उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर उल्लंघनों के बावजूद अभी तक एक भी बिल्डर जेल नहीं गया। यूपी अपार्टमेंट एक्ट का यदि ठीक से पालन किया जाता तो अधिकांश बिल्डर जेल में होते। बिल्डरों का विकास प्राधिकरण, बैंक, नेता, पुलिस के साथ गठजोड़ है। बहुत से विकास प्राधिकरणों में बिल्डर ही तय करते हैं कि अमुक अधिकारी कौन बनेगा ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। कुछ राज्यों में हाउसिंग मिनिस्टर बनवाने में भी बिल्डरों की अहम भूमिका होती है। रियल एस्टेट एक्ट के बावजूद हो सकता है कि वे ही तय करने लगें कि रेगुलेटर कौन बनेगा। यदि केन्द्र सरकार ही ईमानदार रेगुलेटर नियुक्त कर देती तो अच्छी बात होती।

विकास प्राधिकरणों के प्रोजेक्ट्स में भी बहुत देरी एवं सुविधाओं का अभाव रहता है किंतु उन्हें इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। डीडीए ने 1984 में प्लॉट आबंटित किया था किंतु अभी भी बहुत से आबंटियों को प्लॉट नहीं मिला है। अर्थात इस सेक्टर के साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं, इस एक्ट में इसे एड्रेस नहीं किया गया है। द्वारका एक्सप्रेस–वे पर पिछले 10 सालों से काम चल रहा है, लाखों मकान पूरी तरह तैयार हैं किंतु लोग वहां नहीं रह रहे हैं क्योंकि डीडीए ने बिल्डरों से 'बाह्य विकास प्रभार' बहुत पहले प्राप्त करने के बावजूद भी वहां बिजली, पानी, सड़क, सीवर सिस्टम की व्यवस्था नहीं की। यही हाल राजनगर एक्सटेंशन का भी है, वहां भी अभी तक जीडीए ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू नहीं करवा पाया है। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बिल्डरों को 'तारीख–पे–तारीख' मिलती रहती है और बिल्डर उन्हीं के नक्शेकदम पर चलते हुए खरीदार को 'तारीख–पे–तारीख' देते रहते हैं। बिल्डर प्रायः इन अधिकारियों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते क्योंकि दोनों की मिलीभगत होती है और भुगतता है बेचारा खरीदार। इसलिए सभी विकास प्राधिकरणों को भी इस कानून के दायरे में लाना बहुत जरूरी है।

आवास क्षेत्र में मंदी की वजह से अभी मकान लगभग 20% सस्ते हो गये हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि निर्माणाधीन मकान को खरीदने में दी गई रकम पर खरीदार से बिल्डर सर्विस टैक्स नहीं ले सकते हैं। अभी कुल मूल्य के 25% मूल्य पर 15% सर्विस टैक्स लगता है, इस प्रकार खरीदार को कुल मूल्य की 3.75% बचत होगी। रेगुलेटर आने से लोगों का खोया हुआ विश्वास इसमें लौटेगा, परिणामस्वरूप इसमें देशी एवं विदेशी निवेश बढ़ेगा जिससे बिल्डर को जो मंदी की वजह से पैसे की समस्या रहती है वह दूर होगी, लेन–देन का हिसाब रखने एवं इसकी ऑडिटिंग के कारण कालाधन का इसमें निवेश रूकेगा और इससे मकानों की बनावटी कमी दूर होगी, अधिकतम तीन

साल में प्रोजेक्ट्स पूरा करने अर्थात पजेशन में देरी नहीं होने से मकान की कीमत में वृद्धि नहीं होगी– इन सब उपायों से मकान सस्ता होगा। साथ ही, समय पर मकान का पजेशन मिल जाने से खरीदार को टैक्स छूट का लाभ मिल सकेगा। खरीदार को सेक्शन 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपये के प्रिंसिपल भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है और सेक्शन 24 के तहत ब्याज भुगतान पर उन्हें दो लाख रुपये पर टैक्स छूट मिलती है। टैक्स डिडक्शन लेने के लिए लोन लेने के तीन साल के अंदर मकान का कब्जा मिलना अनिवार्य है। यदि तीन साल की डेडलाईन पूरी नहीं होती तो डिडक्शन की रकम दो लाख रुपये से घटकर सिर्फ तीस हजार सालाना रह जाती है। अर्थात अगर किसी ने 50 लाख रुपये का होम लोन लिया है तो पजेशन में देरी के चलते उसे 20 साल की अवधि में 10 लाख 90 हजार रुपये का टैक्स लॉस होगा। केन्द्रीय बजट 2016–17 में पहली बार मकान खरीद रहे लोगों को लाभ देने और अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में निर्माण कंपनियों के लिए टैक्स लाभ की घोषणा की गई है। जीएसटी लागू होने के बाद सभी अप्रत्यक्ष टैक्स की जगह एक ही टैक्स देय होगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में जहां पारदर्शिता एवं स्थिरता आएगी, वहीं मकान की कीमतों में कमी आएगी जो बिल्डर एवं खरीदार दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इस बार अच्छे मानसून की वजह से रिटेल महंगाई दर कम होगी और इससे आरबीआई होम लोन की ब्याज दर कम करेगा।

इस एक्ट में प्रावधान है कि 10% जुर्माना देकर बिल्डर जेल की सजा से बच सकता है। जुर्माना से तो गरीब डरते हैं। बिल्डर पैसे वाले हैं, जुर्माना देकर बच सकते हैं, इसलिए जेल की सजा का प्रावधान बिना शर्त होनी चाहिए। 'भय बिनु होय न प्रीति'। जुर्माने को बढ़ाने की जरूरत है ताकि बिल्डर ईमानदारीपूर्वक काम करें। रेगुलेटर के साथ रजिस्ट्रेशन कराते समय बिल्डर्स मौजूदा प्रोजेक्ट्स के ओरिजनल लेआउट प्लान और स्पेसिफिकेशन के बजाय नया लेआउट प्लान और स्पेसिसिफकेशन रेगुलेटर के पास जमा कर सकता है, जो बुकिंग के समय खरीदार को दिखाए गए लेआउट प्लान से बिल्कुल अलग हो सकता है। ऐसे में बिल्डर बुकिंग के समय खरीदार से किए वादे पूरा नहीं करने के बावजूद पेनाल्टी से बच सकते हैं।

इस एक्ट के अनुसार 500 वर्गमीटर से कम एरिया के फ्लैट रेगुलेटरी अथॉरिटी के दायरे से बाहर होंगे। महानगरों में ऐसे बिल्डरों की संख्या काफी है। इस रेगुलेशन से बचने के लिए इनकी संख्या में अब और वृद्धि होगी। बिल्डर बहुत चालाक होते हैं। विकास प्राधिकरण से जमीन खरीदना चूंकि महंगा होता है इसलिए जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 का गलत फायदा उठाते हुए बिल्डर खेती की जमीन खरीदते हैं फिर कोर्ट में याचिका दायर करके उसे आबादी की जमीन घोषित करवा लेते हैं और उसके बाद जिला पंचायत से नक्शा पास करवाकर वहां बड़े–बड़े अपार्टमेंट खड़े कर देते हैं क्योंकि आबादी घोषित हो चुकी जमीन पर निर्माण के लिए नियम–कानूनों का ज्यादा झंझट नहीं होता। सरकारी बैंकों से टाईअप कर खरीदार को लोन दिलाते हैं और खरीदार सस्ता के झमेले में फंसकर मकान बुक करा लेता है। बाद में विकास प्राधिकरण इस लैंडयूज चेंज के विरुद्ध रेस्टोरेशन के लिए कोर्ट में याचिका दायर करती है और खरीदारों को कब्जा नहीं मिल पाता है। सभी बिल्डरों को रेगुलेटरी अथॉरिटी के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। खरीदार के लिए भी स्व–नियमन जरूरी है, मकान खरीदते समय उनका पहला मापदंड होता है 'सबसे कम कीमत'। अगर ज्यादा सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो धोखा खाने की संभावना भी उतनी ज्यादा है। मध्यमवर्गीय लोग अपनी जीवन भर की संचित आय से एक आशियाना बनाने का सपना देखते हैं। इस सपने की पूर्ति के उतावलेपन में वे यह भी नहीं देखते कि वे जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं या नहीं। उन्हें सचेत रहना चाहिए तथा मकान खरीदने से पहले प्रॉपर्टी की पूरी जांच–पड़ताल करनी चाहिए।

बॉन्ड्स की तरह बिल्डर की भी रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए जो बिल्डर को रेटिंग दे ताकि खरीदार को पता लग सके कि कौन बिल्डर अच्छा और भरोसेमंद है। अभी 25 ऐसी रियल एस्टेट एजेंसीज हैं जिनपर 30 हजार करोड़ का डेब्ट रिस्क है, वे अपने को डिफाल्टर घोषित करके चले जाएंगे तो खरीदार को कौन बचाएगा। अभी ब्रांड एम्बैस्डर का चश्मा पहनाकर बिल्डर उन्हें धोखा देने की रणनीति पर कार्य करता है। इसलिए बिल्डर के साथ–साथ ब्रांड एम्बैस्डर को भी कानूनी दायरे में लाया जाना चाहिए। इससे इन धोखाधड़ी पर ब्रेक लगेगा। इसके अलावा, खरीदारों की उपरोक्त सभी आशंकाओं पर प्रशासन को गौर करना चाहिए।

बिल्डरों को विकास प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि से समय पर जरूरी क्लीयरेंस नहीं मिल पाता है और न ही बैंक से समय पर ऋण। इससे उन्हें मुक्ति

दिलाने के लिए केन्द्र सरकार 'एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली' बना रही है। जमीन के रिकार्ड को डिजिटाइज कर टाइटल्स को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का काम जारी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली के 'बिल्डिंग बॉय–लॉज' को सरलीकृत किया है। अब ऑनलाईन आवेदन करके नेट बैंकिंग से फीस भरी जाएगी, 30 दिनों में यदि ऑनलाईन मंजूरी या एनओसी नहीं मिला तो उसे 'स्वतः प्रदत्त' माना जाएगा। इससे आम जनता को बहुत सहुलियत होगी, रिश्वतखोरी और लेट–लतीफी पर रोक लगेगी। जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किए जाने की संभावना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर 'वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास' की परिकल्पना की है। 25 जून 2015 को माननीय प्रधान मंत्री ने इसे 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के नाम से शुरू किया है। इसका उद्देश्य अग्रलिखित कार्यक्रम विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना हैः– भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लमवासियों का स्लम पुनर्वास; ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन; सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास; तथा लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी। लाभार्थी परिवार (जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं) के पास भारत में कहीं भी रिहायशी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। नए मकान के निर्माण या पुराने मकान के विस्तार के लिए शहरी निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से 6 लाख रुपए तक के होम लोन की राशि पर केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.5% ब्याज की सब्सिडी देती है। यह बहुत बड़ी राहत है। इस योजना के तहत 500 श्रेणी–1 शहरों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ जनगणना 2011 के अनुसार सभी 4041 सांविधिक शहरों को तीन चरणों में कवर किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहले से ही 'इंदिरा आवास योजना' के तहत मकान का निर्माण/उन्नयन का काम बखूबी चल रहा है। इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, मुक्त बन्धुआ मजदूरों के सदस्य तथा गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीणों को एक मुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासहीन इकाईयों के निर्माण/उन्नयन में मदद करना है। केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत बीपीएल परिवार को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद 45,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 रुपए प्रति इकाई कर दी।

निःसंदेह 'प्रधानमंत्री आवास योजना' से शहरी गरीबों तथा 'इंदिरा आवास योजना' से ग्रामीण गरीबों को अपना घर बनाने में काफी मदद मिलेगी किंतु इन सबके बावजूद अनेकों लोगों के लिए घर अभी भी एक दिवास्वप्न की तरह ही है। यदि सरकार 'घर का अधिकार' सुनिश्चित करने वाला कोई कानून बना दे तो देश के प्रत्येक परिवार के पास अपना घर हो सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 'पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका में कहा है कि 'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत' बेघर लोगों को राज्य कम से कम न्यूनतम छत निश्चित करे।

अंततः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत दुनिया में पहला देश है जो 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। माननीय प्रधान मंत्री ने बजट 2016–17 में '2022 तक सबके लिए आवास'; '100 स्मार्ट सिटीज' और 'अफोर्डेबल हाऊसिंग' आदि पहल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। यह कार्य बिना बिल्डर, क्रेडाई, बैंक, खरीदार, विकास प्राधिकरण, रेगुलेटरी अथॉरिटी, केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग के पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए सभी स्टेकहोल्डर्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इन बदलावों को समझने में सभी स्टेकहोल्डर्स को कुछ समय लगेगा, जब सब समझ जाएंगे और उसका ठीक से पालन करने लगेंगे तो यह उनकी आदत में आ जाएगा, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी और उम्मीद है कि इनके बीच सही संतुलन रहेगा, शिकायत का मौका नहीं के बराबर मिलेगा और लोगों के घर का सपना पूरा होगा। नए रियल एस्टेट कानून के रेगुलेशन से बचने के लिए सभी बिल्डर निर्माण कार्य में तेज गति से निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुट गए हैं और इससे लाखों खरीदारों का मकान का सपना 30 अप्रैल 2017 तक पूरा हो जाएगा। 'अच्छे दिन' के लिए अच्छा वातावरण बनना जरूरी है और इसकी शुरूआत हो चुकी है। यदि संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी को कम करके वैश्विक स्तर पर लाया जाए, मकानों के निर्माण को 'आधारभूत ढांचे' का दर्जा दिया जाए और विदेशी निवेश बढ़ाया जाए तो आवास क्षेत्र में क्रांति आ सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में 21 जून 2016 को प्रातः साढ़े आठ बजे से एक योग सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में संस्थान के महानिदेशक श्री मनीष कुमार गुप्ता, संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं समस्त कर्मचारियों ने भाग लिया।

आत्मोदय

डॉ. संजय उपाध्याय*

मानव तुम दिव्य शक्ति के स्वामी,
बनो अग्रणी नहीं अनुगामी।
अपने ही अनुभव के बल पर,
नये सृजन आधार बनाओ,
अपने सूर्य स्वयं बन जाओ।

निर्माता तुम हो निज पथ के,
स्वयं विधाता हो विधि सुधि के।
हैं अनंत सबकी क्षमताएं,
अंतर में विश्वास जगाओ,
अपने सूर्य स्वयं बन जाओ।

चलो न मिटते पदचिह्नों पर,
रुको न बाधाओं विघ्नों पर।
नित्य नयी आलोक रश्मि से,
अपनी प्रतिभा स्वयं जगाओ,
अपने सूर्य स्वयं बन जाओ।

* *फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

क्या यही मेरा नसीब है

सुकृति जैन*

उन मैले हाथों से पूछो
क्या यही मेरा नसीब है
राजा का बेटा जो जूते चाहे खरीदे
और मैं उन जूतों को साफ करूँ
उन सिसकती आहों से पूछो
राजा का बेटा बीमार हो तो आराम करे
और मैं बीमारी में भी उसके गंदे कपड़े धोऊँ
उन नंगे पैरों से पूछो
राजा का बेटा कालीन पर चले
और मैं पथरीले रास्तों पे ठोकरे खाऊँ
पूछो उस माँ से जिसने बेटे को नाजों से पाला
वह बेटा आज किसी के घर का नौकर क्यों?
पूछो जिन हाथों में किताबें होने का सपना देखा माँ ने
उन हाथों में आज औजार और धूल क्यों?
राजा का बेटा विदेश जाता पढ़ने को
और मैं गाँव से शहर आया कमाने को
काश मुझे भी किताबें मिल जाती
काश मैं भी पढ़–लिखकर नाम कमाता
काश माँ की बीमारी में दवा ला पाता
काश मैं भी राजा का बेटा बन पाता।।

* *पब्लिकेशन एसोसिएट, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

भारतीय
श्रम पुस्तिका

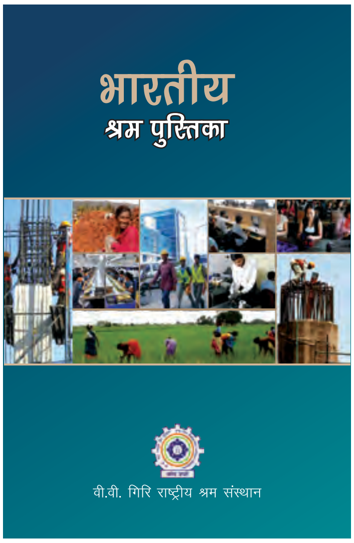

भारत विकास प्रक्रिया के एक बहुत महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। विगत कुछ वर्षों से हमारा देश विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। यह अत्यावश्यक है कि आर्थिक विकास के इन लाभों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें। इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता, सभी के लिए गुणवत्ता वाला रोज़गार और श्रम मुद्दों का हल सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह पहलू जनता की आजीविका से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ है। श्रम के संबंध में देश अनेक और विविध प्रश्नों का सामना कर रहा है, जिनका विस्तार रोज़गार और अल्प–रोज़गार के बारे में सरोकारों से लेकर बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा तक है। भारतीय श्रम मुद्दों की व्यापकता और विस्तार पर विचार करते हुए यह महत्त्वपूर्ण है कि इन मुद्दों का हल खोजने की प्रक्रिया में, बड़ी संख्या में सामाजिक साझेदारों तथा हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को शामिल किया जाए। हितधारकों की रचनात्मक सहभागिता तभी संभव है, जब कि श्रम से संबंधित सूचना और विचारों को सुलभ बनाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है। इसमें भारत में श्रम के परिदृश्य के प्रमुख आयामों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं को समेकित करने का प्रयास किया गया है। इसका आशय यह है कि सुसंगत सूचनाएं एक सरल और बोधगम्य तरीके से उपलब्ध कराई जाएं, जिससे इन्हें समाज के व्यापक तबके तक पहुंचयोग्य बनाया जा सके। इस पुस्तिका का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ, साफ–सुथरा एवं गरिमामय बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती।

आईये, जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनाने हेतु मिलकर काम करें।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
नौएडा

MAKE IN INDIA

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान V.V. Giri National Labour Institute

श्रमेव जयते

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट : www.vvgnli.org